UPGK010089842019

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-01, गोरखपुर।

उपस्थित- उमेश चन्द्र पाण्डेय-II (उच्चतर न्यायिक सेवा) UP6066

सत्र परीक्षण संख्या- 433/2019

उत्तर प्रदेश राज्य .....**अभियोजन पक्ष**

प्रति

1. अफरोज अली पुत्र बरकत अली।
2. मजहर अली पुत्र स्व० मस्तान अली।
3. फिरोज अली पुत्र मजहर अली।
4. बरकत अली पुत्र स्व० मस्तान।

निवासीगण ग्राम- वैदौली, थाना- बड़हलगंज, जिला- गोरखपुर।

..... **अभियुक्तगण**

मु०अ०सं०- 190/2019
अंतर्गत धारा- 147, 302/149, 504, 506 भा०दं०सं०
थाना- बड़हलगंज, **जनपद-** गोरखपुर।

निर्णय

अभियुक्तगण अफरोज अली, मजहर अली, फिरोज, बंटी एवं बरकत अली के विरूद्ध संबंधित थाना- बड़हलगंज, जिला- गोरखपुर की पुलिस द्वारा मु०अ०सं०-190/2019, धारा- 147, 302, 504, 506 भा०दं०सं० के अंतर्गत आरोप पत्र विद्वान न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोरखपुर में प्रेषित किया गया एवं अपराध का संज्ञान लिये जाने के पश्चात अभिकथित अपराध का अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय होने के कारण धारा- 207 दं०प्र०सं० के प्रावधान के तहत आवश्यक प्रपत्रों की नकलें प्रदान करते हुए दिनांक 21.10.2019 को तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोरखपुर द्वारा प्रश्नगत अभिलेख अभियुक्तगण अफरोज अली, मजहर अली, फिरोज एवं बरकत अली के विचारण हेतु सत्र न्यायालय सुपुर्द की गयी एवं तदुपरांत पत्रावली अभियुक्तगण के विचारण हेतु अंतरण द्वारा इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

हस्तगत मामला वादी मुकदमा जितेन्द्र गौड़ पुत्र नंदलाल गौड़, निवासी- बैदौली, बड़हलगंज, जिला- गोरखपुर द्वारा प्रस्तुत लिखित तहरीर पर आधारित है, जिसके अनुसार दिनांक 10.06.2019 को उसका भाई शशिकान्त, उम्र- 30 वर्ष,

गांव के पूरब स्थित अपने बांग में टहलने गया था। वहां पर पहले से उसके गांव के अफरोज अली पुत्र बरकत अली, मजहर अली पुत्र मस्तान, फिरोज अली पुत्र मजहर अली, बरकत अली पुत्र मस्तान, बंटी पुत्र मजहर अली मौजूद थे। वह भी पीछे से टहलने के लिए पहुंच गया तो देखा कि उपरोक्त सभी लोग एक राय होकर लाठी डंडा व हाथ मे लिये चाकू से उसके भाई को पीटने लगे, जिससे उसका भाई वही गिर गया और काफी गंभीर चोट उसके शरीर में आ गयी, तब वह गोहार करने लगा तो वहां पर गांव के छोटे छोटे लड़के व कुछ औरते भी पहुंच गयी, जिन्होंने घटना को देखा। मुल्जिमान लोग उसके पहुंचने के बाद भद्दी-भद्दी गाली व जान माल की धमकी देते हुए भाग गये। वह अपने भाई को गांव वालों की मदद से साधन करके अस्पताल बड़हलगंज पहुंचा तो डाक्टर साहब ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह घटना समय करीब शाम छः बजे की है। उसके भाई का शव सरकारी अस्पताल में रखा है।

वादी मुकदमा द्वारा दी गयी उपरोक्त लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 10.06.2019 को समय 22.13 बजे थाना बड़हलगंज, जनपद गोरखपुर पर अभियुक्तगण अफरोज अली, मजहर अली, फिरोज, बंटी एवं बरकत अली के विरूद्ध धारा- 147, 302, 504, 506 भा०दं०सं० के अंतर्गत मु०अ०सं०- 190/2019 पंजीकृत किया गया, जिसकी प्रविष्टि थाने की जी0डी0 में की गई। विवेचक द्वारा मामले की विवेचना प्रारंभ की गयी। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना घटनास्थल का निरीक्षण कर मृतक के शव को सील सर्वमुहर कर, पंचायतनामा की कार्यवाही संपादित कर मृतक के शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा एवं घटनास्थल की नक्शा-नजरी तैयार की गयी। दौरान विवेचना उनके द्वारा गवाहों के बयान लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना की सभी कार्यवाही को पूर्ण करने के पश्चात पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्तगण अफरोज अली, मजहर अली, फिरोज, बंटी एवं बरकत अली के विरूद्ध धारा- 147, 302, 504, 506 भा०दं०सं० के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

थाना बड़हलगंज, गोरखपुर द्वारा प्रेषित आरोप पत्र के साथ प्रस्तुत समस्त पुलिस प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन कर पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए संबंधित न्यायालय द्वारा अभिकथित अपराध का संज्ञान लिया गया। धारा- 207 दं०प्र०सं० के प्रावधान के तहत अभियुक्तगण को आवश्यक प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गयी। दौरान विचारण अभियुक्त बंटी को बाल अपचारी घोषित करने हेतु उसकी पत्रावली पृथक कर किशोर न्याय बोर्ड भेजी गयी।

अभिकथित अपराध का अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय होने के कारण करते हुए संबंधित न्यायालय द्वारा प्रश्नगत अभिलेख अभियुक्तगण अफरोज अली, मजहर अली, फिरोज एवं बरकत अली के विचारण हेतु सत्र न्यायालय सुपुर्द की गयी एवं तदुपरांत पत्रावली अभियुक्तगण के विचारण हेतु अंतरण द्वारा इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

तत्पश्चात तत्कालीन विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा दिनांक 06.01.2020 को अभियुक्तगण अफरोज अली, मजहर अली, फिरोज एवं बरकत अली के विरूद्ध

धारा- 147, 302/149, 504, 506 भा०दं०सं० के अन्तर्गत आरोप विरचित किये गये, जिससे अभियुक्तगण ने इंकार किया व विचारण की मांग की।

अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप को सिद्ध करने के लिए अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में कुल 09 साक्षीगण न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराये गये, जो निम्नवत हैः-

अभियोजन साक्षी संख्या	**साक्षी का नाम**	**विवरण**
पी०डब्लू०-1	जितेन्द्र गौड़	वादी मुकदमा
पी०डब्लू०-2	आलोक कुमार यादव	तथ्यगत साक्षी
पी०डब्लू०-3	उदय नरायन यादव	तथ्यगत साक्षी
पी०डब्लू०-4	ज्ञानमती गौड़	तथ्यगत साक्षी
पी०डब्लू०-5	डा० रोहित कुमार	औपचारिक साक्षी
पी०डब्लू०-6	किशोरी लाल चौधरी	औपचारिक साक्षी
पी०डब्लू०-7	मुकेश चन्द	औपचारिक साक्षी
पी०डब्लू०-8	चन्द्रभान सिंह	औपचारिक साक्षी
पी०डब्लू०-9	रामाज्ञा सिंह	औपचारिक साक्षी

अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप को सिद्ध करने के लिए अभियोजन की ओर से निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैः-

प्रदर्श	**प्रपत्र**	**प्रमाणितकर्ता**
प्रदर्श क-1	तहरीर	पी०डब्लू०-1 वादी मुकदमा, जितेन्द्र गौड़
प्रदर्श क-2	पंचायतनामा	पी०डब्लू०-1 वादी मुकदमा, जितेन्द्र गौड़
प्रदर्श क-3	फर्द बरामदगी खूनालूदा मिट्टी व सादी मिट्टी	पी०डब्लू०-2 आलोक कुमार यादव
प्रदर्श क-4	मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट	पी०डब्लू०-5 डा० रोहित कुमार
प्रदर्श क-5	पुलिस फार्म संख्या-13	पी०डब्लू०-6 किशोरी लाल चौधरी

प्रदर्श क-6	पुलिस फार्म संख्या- 379	पी०डब्लू०-6 किशोरी लाल चौधरी
प्रदर्श क-7	मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रेषित पत्र	पी०डब्लू०-6 किशोरी लाल चौधरी
प्रदर्श क-8	प्रतिसार निरीक्षक को प्रेषित पत्र	पी०डब्लू०-6 किशोरी लाल चौधरी
प्रदर्श क-9	चिक एफ०आई०आर०	पी०डब्लू०-7 का०मोहर्रिर मुकेश चन्द
प्रदर्श क-10	कायमी जी०डी०	पी०डब्लू०-7 का०मोहर्रिर मुकेश चन्द
प्रदर्श क-11	नक्शा नजरी (घटनास्थल)	पी०डब्लू०-8 विवेचक चन्दभान सिंह
प्रदर्श क-12	फर्द बरामदगी एक अदद चाकू व एक अदद लोहे की राड	पी०डब्लू०-8 विवेचक चन्दभान सिंह
प्रदर्श क-13	गिरफ्तारी प्रपत्र अभियुक्तगण अफरोज, बरकत अली, मजहर अली एवं बंटी उर्फ फारूख अली	पी०डब्लू०-8 विवेचक चन्दभान सिंह
प्रदर्श क-14	गिरफ्तारी प्रपत्र अभियुक्त फिरोज	पी०डब्लू०-8 विवेचक चन्दभान सिंह
प्रदर्श क-15	आरोप पत्र	पी०डब्लू०-9 विवेचक रामाज्ञा सिंह

अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप को सिद्ध करने के लिए अभियोजन की ओर से निम्नलिखित वस्तु साक्ष्य भी प्रस्तुत किये गये है:-

वस्तु प्रदर्श	**वस्तु का विवरण**
वस्तु प्रदर्श-1	लोहे की राड
वस्तु प्रदर्श-2	कपड़ा, जिसमें लोहे की राड सील कर सर्वमोहर की गयी
वस्तु प्रदर्श-3	चाकू
वस्तु प्रदर्श-4	कपड़ा, जिसमें चाकू सील कर सर्वमोहर किया गया।
वस्तु प्रदर्श-5	खूनालूदा मिट्टी
वस्तु प्रदर्श-6	डिब्बा, जिसमें खूनालूदा मिट्टी सील की गयी।

वस्तु प्रदर्श-7	सादी मिट्टी
वस्तु प्रदर्श-8	डिब्बा, जिसमें खूनालूदा मिट्टी सील की गयी।
वस्तु प्रदर्श-9	कपड़ा, जिसमें खूनालूदा व सादी मिट्टी की डिब्बी सील कर सर्वमोहर की गयी।

अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात दं०प्र०सं० की धारा- 313 के अंतर्गत अभियुक्तगण का बयान अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन कथानक को गलत बताते हुए स्वयं को निर्दोष बताया है एवं रंजिशन व साजिशन स्वयं के विरूद्ध मुकदमा चलना बताया गया है।

मैंने अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा- 147, 302/149, 504, 506 भा०दं०सं० के अंतर्गत आरोप विरचित कर मामले का विचारण किया गया है। अभियोजन साक्षीगण द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपों को साबित किया जाना कहा गया है। अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 10.06.2019 को वादी मुकदमा का भाई शशिकान्त गांव के पूरब स्थित अपने बांग में टहलने गया था। वहां पर पहले से अभियुक्तगण मौजूद थे। अपने भाई के पीछे वादी भी टहलने के लिए पहुंच गया तो देखा कि सभी अभियुक्तगण वादी के भाई को लाठी डंडा व हाथ मे लिये चाकू से पीट रहे थे, जिससे वादी के भाई को काफी गंभीर चोट आयी। इस घटना को गांव के बहुत से लोगों ने देखा। वादी व गांव के लोगों के पहुंचने के बाद अभियुक्तगण भद्दी-भद्दी गाली व जान माल की धमकी देते हुए भाग गये। वादी के भाई को ईलाज हेतु सी०एच०सी० बड़हलगंज, गोरखपुर ले जाया गया, जहां पर डाक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। उक्त तथ्यों के आधार पर दर्ज मुकदमे की विवेचना उपरांत साक्ष्य संकलन करके आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया और अभियोजन कथानक के समर्थन में साक्षी पी०डब्लू०-1 लगायत पी०डब्लू०-9 को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया। प्रदर्श क-1 लगायत प्रदर्श क-15 तक के दस्तावेजी/अभिलेखीय साक्ष्य को प्रस्तुत कर अभियोजन साक्षीगण से प्रमाणित किया जाना कहा गया है। इसके अतिरिक्त दौरान विवेचना मुकदमे से संबंधित सील मोहर वस्तु साक्ष्य वस्तु प्रदर्श-1 लगायत वस्तु प्रदर्श-9 को भी मामले के विवेचक/अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-8 के द्वारा साबित किया गया है। इस प्रकार अभियोजन अपने मामले को उनकी ओर से परीक्षित कराये गये साक्षीगण एवं प्रस्तुत किये गये प्रलेखीय साक्ष्यों के आधार पर पूर्णरूप से सिद्ध करने में सफल रहा है।

अभियोजन की ओर से अग्रेतर तर्क प्रस्तुत किया गया है कि साक्षी पी०डब्लू०-1 मामले का वादी मुकदमा एवं घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है।

साक्षीगण पी०डब्लू०-2 एवं पी०डब्लू०-4 घटना के स्वतंत्र चक्षुदर्शी साक्षीगण है एवं साक्षी पी०डब्लू०-3 घटना का तथ्यगत साक्षी है। साक्षीगण पी०डब्लू०-1, पी०डब्लू०-2 एवं पी०डब्लू०-4 द्वारा समान रूप से अभियोजक कथानक को साबित किया जाना एवं अपने साक्ष्य में अभिकथित घटना अभियुक्तगण द्वारा कारित किये जाने संबंधी पुष्टिकारक साक्ष्य दिया जाना कहा गया है। उक्त साक्षीगण द्वारा घटना के समय घटनास्थल पर अपनी उपस्थिति में अभियुक्तगण अफरोज, मजहर, बकरत अली द्वारा मिलकर बगीचे में वादी मुकदमा के भाई मृतक शशिकान्त को पकड़ लिया जाना एवं अभियुक्त फिरोज द्वारा राड एवं चाकू से बलपूर्वक प्रहार किये जाने का साक्ष्य दिया गया है। घटना में आयी उपहतियां पूर्णरूप से पोस्टमार्टम रिपोर्ट द्वारा समर्थित है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि मृत्यु पूर्व आयी चोटों के कारण ही मृतक की मृत्यु हुई है, जो निसंदेह हत्या की श्रेणी में आता है।

यह भी तर्क किया गया है कि उक्त घटना में प्रयुक्त लोहे की राड एवं चाकू न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो फर्द बरामदगी के अनुसार अभियुक्त फिरोज की निशानदेही पर बरामद किये गये है। उक्त आलाकत्ल हथियार एवं फर्द बरामदगी को अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू०-8 द्वारा साबित किया गया है।

साक्षी पी०डब्लू०-1 द्वारा तहरीर को प्रदर्श क-1 के रूप में एवं मृतक के पंचायतनामा को प्रदर्श क-2 के रूप में साबित किया जाना कहा गया है। चक्षुदर्शी साक्षी पी०डब्लू०-2 द्वारा घटनास्थल से एकत्रित खून आलूदा मिट्टी एवं सादी मिट्टी की सील सर्वमोहर कार्यवाही के संबंध में स्वयं के समक्ष तैयार किये जाने का साक्ष्य देते हुए फर्द को प्रदर्श क-3 के रूप में साबित किया जाना कहा गया है। चिकित्सक साक्षी द्वारा मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्रदर्श क-4 के रूप में साबित करते हुए मृतक की मृत्यु मृत्युपूर्व आयी चोटों से इमरेजिक शॉक से होना एवं उक्त चोटे किसी धारदार हथियार से पहुंचाया जाना कहा गया है।

साक्षी पी०डब्लू०-6 लगायत पी०डब्लू०-9 पुलिस के साक्षी है। साक्षी पी०डब्लू०-6 द्वारा मृतक की पंचायतमाना की कार्यवाही करते हुए उक्त के अनुक्रम में तैयार पुलिस फार्म संख्या-13, 379, मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर एवं प्रतिसार निरीक्षक, गोरखपुर को प्रेषित पत्र को साबित किया जाना, साक्षी पी०डब्लू०-7 द्वारा मामले की चिक एफ०आई०आर० एवं कायमी जी०डी० को साबित किया जाना, साक्षी पी०डब्लू०-8, जो मामले के प्रथम विवेचक है, के द्वारा घटनास्थल की नक्शा नजरी, फर्द बरामदगी एक अदद चाकू व एक अदद लोहे की राड, अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के बावत तैयार गिरफ्तारी प्रपत्र को साबित जाना एवं द्वितीय/अंतिम विवेचक पी०डब्लू०-9 द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रेषित आरोप पत्र को साबित किया जाना कहा गया है। इस प्रकार समस्त अभियोजन साक्षीगण द्वारा एकमत से वादी मुकदमा द्वारा तहरीर में वर्णित घटनाक्रम को साबित किया जाना कहते हुए उनकी प्रतिपरीक्षा में किसी विपरीत तथ्य के न आने के कारण अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को

युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होना कहते हुए उनके विरूद्ध अधिरोपित आरोपों से दोषसिद्ध किये जाने की याचना की गयी है।

उपरोक्त तर्कों के विरूद्ध बचाव पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराते हुए विस्तारपूर्वक तर्क किए गए।

प्रथमतः यह तर्क किया गया कि मुख्यतः प्रस्तुत मामला अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-1, पी०डब्लू०-2 एवं पी०डब्लू०-4 के साक्ष्यों पर आधारित है, जबकि उक्त तीनों साक्षियों के परिसाक्ष्य परस्पर विरोधाभाषी है और विश्वसनीय नहीं हैं। मामला साक्ष्यविहीन तथ्यों पर आधारित होना कहते हुए प्रेम प्रसंग में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अज्ञात परिस्थितियों में घटित घटनाक्रम पर आधारित होना कहा गया है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मामले की मूल तहरीर की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तर्क किया गया है कि वादी मुकदमा द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि सरकारी अस्पताल में एक व्यक्ति से बोलकर उसके द्वारा उक्त तहरीर लिखवायी गयी। जबकि वह स्वयं पढ़ना लिखना जानता है। इसके अतिरिक्त जिस व्यक्ति द्वारा तहरीर लिखी गयी उसका नाम तहरीर पर अंकित नहीं किया गया है। वादी मुकदमा के अनुसार तहरीर लिखने वाला व्यक्ति उसके गांव का नहीं है बल्कि दूसरे गांव का था। जबकि उस समय वादी के साथ उसके गांव के अन्य लोग भी उपस्थित थे परन्तु किन परिस्थितियों में वादी द्वारा किसी अज्ञात व्यक्ति से तहरीर लिखायी गयी इसका कोई स्पष्टीकरण उसके द्वारा नहीं दिया गया है और न ही तहरीर लिखने वाले व्यक्ति को मामले का साक्षी ही बनाया गया है। उक्त तथ्य तहरीर में मौलिक तथ्यों की वास्तविकता पर संदेह प्रकट करता है।

बचाव पक्ष की ओर से साक्षी पी०डब्लू०-1 के साक्ष्य का हवाला देते हुए तर्क दिया गया है कि इस साक्षी द्वारा कहा गया है कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो देखा कि अभियुक्तगण उसके भाई को लाठी, डंडा व चाकू से मार रहे थे। उसके चिल्लाने पर बहुत से लोग आ गये तो अभियुक्तगण उसे गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। इस साक्षी द्वारा अपने भाई को बचाने अथवा अभियुक्तगण को मौके पर पकड़ने का कोई प्रयास नहीं किया जाना मानवीय संवेदनाओं के प्रतिकूल है और उक्त साक्षी के घटनास्थल पर घटना के समय उपस्थिति और चक्षुदृष्टा के रूप में साक्ष्य पर संदेह उत्पन्न करता है। तहरीर में लाठी डंडा से प्रहार किया जाना बताया गया है किन्तु शव विच्छेदन आख्या में कोई लाठी डंडा की चोट नहीं पायी गयी।

साक्षी पी०डब्लू०2 के साक्ष्य पर बचाव पक्ष की ओर से तर्क दिया गया है कि इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा मे घटना दिनांक 10.06.2019 के शाम छः बजे की बतायी गयी है एवं जब वह गोरखपुर से घर आ रहा था, तो उसके द्वारा अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित करते हुए बगीचे के अंदर देखा जाना कहा गया है, जबकि अपनी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी द्वारा घटना रात्रि आठ बजे घटित

होना सही बताया गया है, जो इस साक्षी की घटनास्थल पर उपस्थिति एवं उसके साक्ष्य की विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न करता है। साक्षी पी०डब्लू०-1 तथा पी०डब्लू०-2 द्वारा घटना बगीचे में कारित होना कहा गया है जबकि नक्शा नजरी में लाश बगीचे के बाहर रोड के दूसरी तरफ अफरोज के मकान के सामने पाया जाना उल्लिखित है जो कि घटनास्थल परिवर्तन साबित करता है।

साक्षी पी०डब्लू०-3 के साक्ष्य पर तर्क दिया है कि यह साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। घटना की सूचना मिलने पर मात्र ग्राम प्रधान होने के नाते उसके द्वारा अस्पताल पहुंचकर मृतक के पंचायतनामा के पंचाग नियुक्त होने पर पंचायतनामा पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की गयी है। यह साक्षी अनुश्रुत साक्षी की श्रेणी में आता है।

साक्षी पी०डब्लू०-4 के साक्ष्य पर तर्क प्रस्तुत किया गया है कि इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में घटना दिनांक 10.06.2019 के शाम छः बजे की बताते हुए उस समय घटनास्थल पर बकरी चराना एवं अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किया जाना स्वयं अपनी आंखों से देखा जाना तथा घटना के बाद डरकर घर भाग जाना कहा गया है। जबकि अपनी प्रतिपरीक्षा में उसे महीनों की जानकारी न होना, घटना के बाद मृतक के पास लगभग आधा से एक घण्टा होना, मृतक की मृत्यु कब हुई इसकी जानकारी नहीं होना कहा गया है। इस साक्षी द्वारा घटना यदि देखी गयी तब शोर नहीं मचाया गया और मृतक के घर का कोई सदस्य घटना के समय घटनास्थल पर नहीं था, कहा गया जो कि साक्षी पी०डब्लू०-1 की साक्ष्य व प्रथम सूचना रिपोर्ट के अभिकथन के विपरीत है। साक्षी पी०डब्लू०-1 व पी०डब्लू०-4 में से कोई एक झूठा है या दोनों असत्य है। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य में परस्पर विरोधाभाष होना कहा गया है।

साक्षी पी०डब्लू०-5 चिकित्सक साक्षी के साक्ष्य का हवाला देते हुए तर्क दिया गया है कि उक्त साक्षी द्वारा मृतक का पोस्टमार्टम किया गया है एवं मृतक की मृत्यु मृत्युपूर्व आयी चोटों से इमरेजिक शाक से दिनांक 10.06.2019 को समय 02.40 PM के आसपास होना बताया गया है, जबकि अभियोजन के अनुसार घटना दिनांक 10.06.2019 के शाम छः बजे की बतायी गयी है।

साक्षी पी०डब्लू०-6 द्वारा मामले की सूचना पंजीकृत होने के पश्चात मात्र 500 मीटर की दूरी मोटरसाईकिल से तय कर 22 मिनट में अस्पताल पहुंचना एवं पहुंचकर साक्षी पी०डब्लू०-8 के निर्देशन में पंचायतनामा की कार्यवाही किये जाना बताया गया है परन्तु उक्त पंचायतनामा पर कहीं भी साक्षी पी०डब्लू-8 विवेचक के नाम का कोई उल्लेख नहीं होना बताया गया है।

साक्षी पी०डब्लू-7 द्वारा वादी द्वारा हस्तलिखित तहरीर देने पर मामला पंजीकृत कायमी जी०डी० तैयार करना बताया गया है परन्तु उक्त तहरीर पर एस०एच०ओ० अथवा किसी शीर्ष अधिकारी का कोई लिखित आदेश नहीं होना कहा गया है।

साक्षी पी०डब्लू०-8 प्रथम विवेचक के साक्ष्य का हवाला देते हुए तर्क दिया गया है कि उक्त साक्षी द्वारा अभियुक्त फिरोज की निशानदेही पर घटनास्थल पर

मलबे के ढेर से घटना में प्रयुक्त एक अदद चाकू एवं एक अदद लोहे की राड बरामद किया जाना बताया गया है। जबकि साक्षी पी०डब्लू०-2 के अनुसार न तो घटनास्थल पर और न ही आसपास कोई मलबे या कूड़े का ढेर था। इस प्रकार अभियुक्त की निशानदेही पर घटनास्थल से जो उपरोक्त वस्तुएं बरामद होना बताया गया है वह फर्जी है एवं इस तथ्य की ओर संकेत करती है कि उक्त विवेचक द्वारा की निष्पक्ष विवेचना नहीं की गयी है एवं साक्षी पी०डब्लू०-9 द्वितीय/अंतिम विवेचक द्वारा प्रथम विवेचक द्वारा की गयी विवेचना के आधार पर ही गलत साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाना कहा गया है।

इस प्रकार अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य में परस्पर विरोधाभाष होने के कारण विश्वसनीय नहीं होना कहते हुए संपूर्ण अभियोजन कथानक का समर्थन साक्षियों द्वारा नहीं करने के कारण अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होना कहा गया है एवं अभियुक्तगण को उनके विरूद्ध अधिरोपित आरोपों से संदेह के आधार पर दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों के समर्थन में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षियों की मौलिक व सुसंगत साक्ष्य निम्नवत हैः-

अभियोजन पक्ष की ओर से **पी०डब्लू०-1** के रूप में **वादी मुकदमा जितेन्द्र गौड़** को सशपथ परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है किः-

घटना दिनांक 10.06.2019 को शाम लगभग छः बजे की है। उसका भाई शशिकान्त गौड़ अपने बाग में टहलने गया था। उसके गांव के अफरोज, मजहर, बरकत व बन्टी भी पहले से बाग में मौजूद थे। वह भी पीछे से टहलने गया तो देखा कि उपरोक्त सभी लोग उसके भाई शशिकान्त को लाठी डंडा व चाकू से मार रहे थे। जब वह पहुंचा तो देखा कि उसके भाई को अफरोज, बंटी, मजहर अली व बरकत चारों पकड़ लिये, हाजिर अदालत अभियुक्त फिरोज को देखकर साक्षी ने साक्षी ने बताया कि इसने अपने हाथ में लिये चाकू से उसके भाई शशिकान्त को मारा, जिससे वह लहूलूहान होकर गिर गया। उसके चिल्लाने पर बहुत से लोग आ गये तो उपरोक्त लोग गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी देते हुए भागे। वह अपने गांव वालों की मदद से भाई शशिकान्त को लेकर घायल अवस्था में सरकारी अस्पताल बड़हलगंज ले गया, जहां पर डाक्टरों ने उसके भाई को मृत घोषित कर दिया। सरकारी अस्पताल में एक व्यक्ति से बोलकर दरखास्त लिखवाया, पढ़कर सुनने के बाद उस पर अपना हस्ताक्षर बनाकर थाने पर दिया। शामिल मिसिल कागज संख्या- 5क को साक्षी को दिखाया गया तो साक्षी ने कहा कि यह वही दरखास्त है, जिसे उसने बोलकर लिखवाया था। उस पर उसका हस्ताक्षर है, जिसे वह तसदीक करता है। तहरीर पर **प्रदर्श क-1** डाला गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस वाले उसके भाई के शव का पंचायतनामा सी०एच०सी० बड़हलगंज पर तैयार किये थे, जिस पर अन्य पंचों के साथ वह भी अपना हस्ताक्षर बनाया था। शामिल मिसिल कागज संख्या-

10क/1 व 10क/2 को देखकर साक्षी ने बताया यह वही पंचायतनामा मृतक शशिकान्त पुत्र नन्दलाल गौड़, निवासी- बैदौली, थाना- बड़हलगंज, जिला- गोरखपुर संबंधित अ०सं०- 190/19, धारा- 147, 302, 504, 506 भा०दं०सं० है, जिसके पृष्ठ भाग पर उसका हस्ताक्षर बना है, जिसे वह तसदीक करता है। पंचायतनामा पर **प्रदर्श क-2** डाला गया। हाजिर अदालत अभियुक्त फिरोज अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर उसके भाई शशिकान्त को उसके सामने चाकू से मारा था जो बाग के पूरब सटे पिच के पूरब पट्टी पर गिरा। दरोगा जी उसका बयान लिये थे।

बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि:-

हत्या की वजह पुरानी जमीन व रास्ते की रंजिश थी। यह रंजिश घटना के दस बारह वर्ष पहले से चली आ रही थी। इस रंजिश का कोई हल नहीं निकला था। हम लोगो ने इस रंजिश का हल निकालने की बहुत कोशिश किया लेकिन मुल्जिमान हल नहीं निकलने दिये और यह घनघोर दुश्मनी बढ़ती चली गयी। यह सही है कि मुल्जिम अफरोज, मजहर, फिरोज, बरकत, बन्टी, बाग के अन्दर पहले से मौजूद थे। यह वही बाग है जिसके अन्दर उसके भाई की हत्या हुई थी।वह प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह नहीं लिखाया कि "मेरे भाई शशिकान्त को अफरोज, बन्टी, मजहर अली, बरकत चारो पकड़ लिए।" उसके गांव से पी०एच०सी० बड़हलगंज थाना बड़हलगंज लगभग छह किलोमीटर के दायरे में है। वह अपने भाई को मारूती कार से अस्पताल ले गया। मारूती कार उसके भाई को चोट लगने के दस मिनट के अन्दर आ गयी। चोट लगने और पी०एच०सी० तक पहुंचने में आधे घण्टे का समय लगा था। जब वे पी०एच०सी० गये तो उस समय डाक्टर साहब आये और देख कर बताये कि इसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी है तब उसे उसके मरने की जानकारी हुई। वह अपने भाई को पहली बार इलाज कराने ले गया तो डाक्टरों ने कहा कि थाने पर जाओ पुलिस आयेगी तब इलाज होगा तो वह थाने पर गया और पुलिस लेकर आया इसमें कुल अधिक से अधिक दस मिनट का समय लगा। जो दरोगा जी और पुलिस वाले थाने से पी०एच०सी० पर आये थे उनको भी जानकारी हो गयी कि उसका भाई मर गया है तो फिर दरोगा जी और पुलिस वाले कहे कि थाने पर चलो और एफ०आई०आर० दर्ज कराओ। अस्पताल में एफ०आई०आर० लिखने में दस मिनट का समय लगा। फिर वह एफ०आई०आर० लेकर थाने पर जाने में पांच मिनट का समय लगा। अस्पताल में एफ०आई०आर० लिखाने के बाद पुलिस वाले उसके साथ थाने पर नहीं गये। एफ०आई०आर० लेकर थाने जाने में पांच या दस मिनट का समय लगा। घटना होने से लेकर एफ०आई०आर० लिखाने तक लगभग साठ मिनट का समय लगा। मुल्जिमान बाग में पहले से मौजूद थे। वह बाग के पश्चिम दिशा से घटना देखा और दौड़ के बाग के अन्दर गया और तुरन्त उसके बाद गाड़ी आयी और वह अपने भाई को लेकर अस्पताल चल दिया।एफ०आई०आर० लिखाने के बाद पुलिस के साथ वह गांव पर आया और बाग के अन्दर जहां चाकू मारा गया था वह जगह दिखाया। वहां खून गिरा था उसे भी दिखाया। बाग के पश्चिम तरफ जहां से वह

घटना देखा वह जगह भी दिखाया। नक्शा नजरी में बाग के अन्दर घटनास्थल नहीं दिखाये हो, घटनास्थल पर खून का होना न दिखाये हो और बाग के पश्चिम दिशा में उपस्थित होकर उसके द्वारा घटना देखने की जगह न दिखाये हो तो वह इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि लियाकत अली के घर के सहन में उसके भाई को रात के आठ-नौ बजे के बीच चाकू मारा गया। यह भी कहना गलत है कि मैंने कोई घटना नहीं देखी। घटना के दिनों में शशिकान्त (मृतक) की शादी नहीं हुई थी और वह अकेले ही उसके साथ रहता था।

तहरीर प्रदर्श क-1 वह स्वयं नहीं लिखा था। घटना के बाद बदहोश होने के कारण वह स्वयं तहरीर नहीं लिखा। तहरीर लिखने वाले का नाम पता वह नहीं बता पाएगा। वह दूसरे गांव का व्यक्ति था। तहरीर लिखकर उसने पढ़कर सुनाई व उसने दस्तखत किया था। उसने अपने तहरीर में यह लिखवाया है कि घटनास्थल पर गांव के छोटे छोटे लड़के व कुछ औरते भी पहुंच गये। उन छोटे बच्चो की उम्र 5-7-8 वर्ष रही होगी। घटनास्थल पर घटना के बाद जो औरते पहुंची थी वे उम्रदराज थी। छोटे लड़के व औरते उस बाग में ही थे। उसने अपनी तहरीर में यह नहीं लिखा है कि कुछ छोटे बच्चे व औरते बाग में पहले से मौजूद थे। घटनास्थल से उसके घर की दूरी लगभग 150 मीटर है। घटनास्थल बाग के अगल बगल के निवासियों को वह बखूवी जानता है। गवाह आलोक कुमार यादव का घर उसके घर के पीछे है। गवाह आलोक यादव के घर से घटनास्थल दिखायी नहीं देता है। साक्षी उदय नरायन यादव के घर से घटनास्थल बाग दिखायी नहीं देता है। घटना के दिन घटनास्थल पर उसकी बिरादरी के लोग पहुंचे थे, जिनके नाम सुरेन्द्र, रामबिलास, विपिन गौड़, प्रीति, जयहिन्द का परिवार (नाम नहीं जानता) व और भी लोग थे। घटनास्थल पर उसकी बुआ तारामती व ज्ञानमती भी गयी थी। ज्ञानमती घटनास्थल पर ही मौजूद थी। घटनास्थल पर घटना के समय पर तेज आवाज में शोर शराबा नहीं हो रहा था। पकड़ा पकड़ी हो रही थी। ज्ञानमती का घर लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित होगा। ज्ञानमती का घर घटनास्थल से पश्चिम दिशा में पड़ता है। ज्ञानमती के घर से घटनास्थल दिखायी नहीं देता है। वह बाग के पश्चिम से घटनास्थल देखा था। जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तब मुल्जिमान भाग रहे थे।

साक्षी आलोक कुमार यादव, उदयनरायन यादव व ज्ञानमती गौड़ से घटना के दिनों में उसके अच्छे संबंध थे और आज भी अच्छे संबंध है। पुलिस ने हास्पिटल में उससे पूछताछ की थी। उसने पुलिस को अपने बयान में यह बताया था कि उपरोक्त सभी लोग एक राय होकर लाठी डंडा व हाथ में लिये चाकू से उसके भाई को पीटने लगे, जिससे उसका भाई वही गिर गया और काफी गंभीर चोटे शरीर में आ गयी। उसने पुलिस को यह बताया था कि चार लोग उसके भाई को पकड़ लिये थे और फिरोज ने चाकू मारा था। उपरोक्त बाते पुलिस ने उसके बयान में क्यों नहीं लिखी वह नहीं बता सकता।

उसने अदालत में पहली बार अपने मुख्य बयान में यह बयान दिया है कि अभियुक्त फिरोज अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर उसके भाई शशिकान्त को उसके सामने चाकू से मारा था। उसने अदालत में पहली बार अपनी मुख्य

परीक्षा में यह बात बताया है कि जब वह पहुंचा तो देखा कि उसके भाई शशिकान्त को अफरोज, बन्टी, मजहर अली, बरकत चारों पकड़ लिये। हाजिर अदालत अभियुक्त फिरोज को देखकर साक्षी ने बताया कि इसने अपने हाथ में लिये चाकू से उसके भाई शशिकान्त को मारा, जिससे वह लहूलूहान होकर गिर गया। चाकू फिरोज के हाथ में था।

अन्य मुल्जिमानों के हाथ में कौन सा हथियार था वह नहीं बता सकता।

वह जब घटना हो रही थी तभी दौड़कर पहुंचा। वह अपने भाई शशिकान्त को मुल्जिमानों से बचाने का कोई प्रयास नहीं किया और न ही मुल्जिमानों को पकड़ने का प्रयास किया। उसने मृतक के शरीर पर चोटों को देखा था। चोटे बांये साइड पर दो जगह थी। बांये साइड सीने पर नीचे तरफ था और एक सिर के पीछे था। कुल तीन चोटें थी।

रास्ते की रंजिश की वजह से चाकू मारा गया। वह रास्ता उसके भाई का व्यक्तिगत नहीं था बल्कि गांव के अन्य काफी लोगों का रास्ता था और वह सार्वजनिक रास्ता था।

जब वह पहुंचा तो मुल्जिमानों ने उसे व उसके भाई को गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी दिया। तहरीर में उसने नहीं लिखाया है कि उसे गाली व जान से मारने की धमकी दी थी, पर उसने अपने बयान में यह बात बता दी थी। उसे गाली गुप्ता व जान से मारने कीधमकी देने वाली बात उसके मुख्य बयान में भी नहीं है। साक्षी आलोक कुमार यादव घटना वाले दिन घटनास्थल पर उसके पहुंचने के तुरन्त बाद पहुंचे थे। जब गवाह आलोक पहुंचा तो मुल्जिम फिरोज मौके से भाग रहा था। जब वह मौके पर पहुंचा तो उसने उसे गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी दी व उसके बाद भागा था। जब वह मौके पर पहुंचा तो उसका भाई वहां गिरा हुआ था। उसके भाई को चोट लगी हुई थी इसलिए उसने मुल्जिमों को पकड़ने/रोकने के बजाए अपने भाई की जान बचाना ज्यादा जरूरी समझा था। वह दौड़ते हुए घटनास्थल पर पहुंच गया था। जब वह दौड़ते हुए घटनास्थल पर आ रहा था तो उसी समय मुल्जिम फिरोज को उसके भाई शशिकान्त को चाकू मारते हुए देखा था। जिस बाग में घटना हुई थी उस बगीचे में 10-12 पेड़ है। बाग में उस समय उजाला था। पूरा दिन था अंधेरा नहीं हुआ था। घटना शाम के छः बजे की है। छः बजे बाग में अंधेरा नहीं हुआ था।

आलोक यादव जब घटनास्थल पर पहुंचे तो उस समय उसका भाई गिर चुका था। आलोक यादव ने चाकू मारते हुए देखा था यह आलोक यादव ही बताएगे। वह अपने भाई को घटनास्थल से अस्पताल तक अकेले नहीं ले गया था बल्कि दो लोग और थे, संजय यादव व विपिन गौड़। संजय यादव ने घटना नहीं देखा था लेकिन विपिन ने घटना देखा था। विपिन को इस घटना में उसने गवाह इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वह घटना के 2-3 दिन बाद बाहर चला गया। उसने दौरान विवेचना दरोगा जी को यह बता दिया था कि विपिन इस घटना को देखा था लेकिन दरोगा जी ने विपिन को गवाह क्यों नहीं बनाया वह नहीं बता सकता। मुल्जिम फिरोज के मोबाइल का सी०डी०आर० पुलिस ने दौरान विवेचना निकाला

था या नहीं वह नहीं बता सकता। उसने विवेचक को यह बताया था कि मुल्जिम फिरोज ने उसके भाई शशिकान्त को उसके सामने चाकू मारा था लेकिन दरोगा जी ने उसके बयान में उपरोक्त बाते क्यों नहीं लिखी वह नहीं बता सकता। घटना वाले दिन घटनास्थल पर वह रात में उस समय पहुंचा था जब बड़हलगंज में उसके भाई के शव का पंचनामा हो गया था। घटनास्थल पर वह बारह साढे बारह बजे रात में पहुंचा था। घटनास्थल पर रात में जब वह बारह-साढ़े बारह बजे घर पहुंचा था उस समय उसके साथ कोई और था या नहीं उसे याद नहीं है। घटनास्थल पर रात बारह- साढे बारह बजे पहुंचने का उसका कोई उद्देश्य नहीं था बल्कि घटनास्थल घर जाने के रास्ते में पड़ता है। रात में बारह साढ़े बारह बजे घटनास्थल पर रूका नहीं था बल्कि उधर से ही अपने घर चला गया था पुलिस ने उसके सामने इस घटना से संबंधित खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी, चाकू, लोहे की राड वगैरह बरामद नहीं किया था। घटना के दूसरे दिन वह पुलिस केसाथ में घटना के स्थल पर गया था। घटना बगीचे के बीच में नहीं हुआ था बल्कि बगीचे से लगती हुई सड़क के उस पार पटरी पर भाई गिरा हुआ था। उसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह बयान सही दिया है कि "उस समय मेरा भाई शशिकान्त अपने बाग में टहलने गया था ..... मेरे भाई को लाठी डंडा चाकू से मार रहे थे।"

अभियोजन पक्ष की ओर से **पी०डब्लू०-2** के रूप में **आलोक कुमार यादव** को सशपथ परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि-

घटना दिनांक 10.06.2019 की है। घटना सांय छः बजे की है। वह गोरखपुर से अपने घर जा रहा था। उसने देखा कि चार लोग शशिकान्त को पकड़े थे, जिसमें अफरोज, मजहर, बरकत और बन्टी थे तथा फिरोज के हाथ में चाकू था तथा राड भी लिये था। वह चाकू से शशिकान्त को मार रहा था। गर्मी का मौसम था। छः बजे उजाला रहता है। घटनास्थल पर शशिकान्त को मारने के बाद उपरोक्त सभी मुल्जिमानगण घटनास्थल से उत्तर होकर पूरब दिशा की तरफ भाग गये। घटना जितेन्द्र के बगीचे में हुई थी। जब घटना हो रही थी तो घटनास्थल की तरफ जितेन्द्र और भी कुछ लोग दौड़ते हुए भागकर आ रहे थे। वह भी भागकर घटनास्थल पर पहुंचा तो देखा कि शशिकान्त को काफी चोटे लगी है और वह चोटहिल अवस्था में सड़क के किनारे गिरा हुआ है। उसी टोले के लालचन्द की आल्टो कार को मंगाकर शशिकान्त को उसमें लादकर जितेन्द्र तथा गांव के और लोग अस्पताल गये थे। वह साथ में अस्पताल नहीं गया था। एक घंटे बाद अस्पताल गया था। जब वह अस्पताल पहुंचा तो उसके पहले ही डाक्टरों ने शशिकान्त को मृत घोषित कर दिया। शशिकान्त उसके गांव के ही थे। उनकी मृत्यु की सूचना पर उसके गांव के और लोग अस्पताल पहुंचे थे। वहीं कुछ देर बाद पुलिस ने मृतक का पंचायतनामा बनाया था जिस पर उसने भी हस्ताक्षर बनाया था। जिस पंचायतनामें पर वह हस्ताक्षर बनाया था वह पत्रावली में कागज संख्या-10क/1 लगायत 10क/2 है, जिस पर पहले से प्रदर्श क-2 पड़ा हुआ है। वह उस पंचायतनामें पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता है। पंचायतनामा भरने के बाद वह अपने गांव आ गया और कुछ देर बाद थाने के दरोगा जी आये थे

और घटनास्थल पर गये थे। वह भी घटनास्थल पर गया था। दरोगा जी सादी मिट्टी व खून आलूदा मिट्टी अलग अलग डिब्बों में रखकर सील सर्वमोहर कर नमूना मोहर तैयार किया था और उसकी फर्द लिखे थे जिस पर उसने अपना हस्ताक्षर बनाया था जो पत्रावली में कागज संख्या- 7क है, जिस पर बने अपने हस्ताक्षर की वह पुष्टि करता है जिस पर **प्रदर्श क-3** डाला गया। घटना को उसने लगभग 100 मीटर की दूरी से देखा था।

बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया कि:-

दिनांक 10 जून 2019 को जब घटना घटित हो गयी तो दरोगा जी घटनास्थल पर आये थे। उसके सामने सादी मिट्टी व खून आलूदा मिट्टी लिए थे, जो प्रदर्श क-3 है। "दिनांक 30.06.2019 को दरोगा जी उसका बयान लिये थे।" जितना वह जानता था उतना दरोगा जी को बताया परन्तु दिनांक 30.06.2019 के बयान में उसके द्वारा मुल्जिमानों द्वारा चाकू मारने की बात और मुल्जिमानों का नाम यदि दरोगा जी नहीं लिखे तो वह इसकी वजह नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि दिनांक 30.06.2019 तक अर्थात उस दिन दरोगा जी को बयान देने तक वह घटना के बारे में कुछ नहीं जानता था और न मुल्जिमानों के बारे में जानता था। यही वजह है कि उस दिन के बयान में दरोगा जी ने किसी मुल्जिमान का नाम नहीं लिखा। दिनांक 30.06.2019 को उसका बयान उसके सामने लिखा गया था। चन्द्रभान एस०आई० ने उसे थाने पर बुलाया था और थाने पर ही उनके रूबरू होकर उनको बयान दिया था। वह बयान थाने पर दिनांक 17.08.2019 को दिया था। जब वह अस्पताल पहुंचा तो उसी समय पंचनामें की कार्यवाही शुरू हो गयी। प्रदर्श क-2 पंचनामें पर उसकी दस्तखत है। पंचनामें पर लिखी सारी बातों को वह पढ़ा था। वह सब सही लिखा था। पंचनामें में जो एफ०आई०आर० का समय 22.08 बजे और पंचनामा शुरू करने का समय 22.30 बजे लिखा है वह सही है। पंचनामें के समय से और घटना होने के समय के बीच वह सिर्फ दो घण्टे पंचनामास्थल पर नहीं पहुंचा था क्योंकि घटना होने के समय से एक घंटे तक वहीं रूका रहा। शेष एक घंटा जो बचा वह गांव से बड़हलगंज जाने में लगा। 10 बजे रात से 2 घण्टा निकाल दिया जाए तो रात के आठ बजेगा। घटना उसी समय की है। मृतक के शव का पंचायतनामा घटना वाले दिन हुआ था। शव का पंचनामा पी०एच०सी० पर हुआ था। पंचनामा उसके सामने हुआ था। पंचनामा पर अपना हस्ताक्षर बनाया था। शव का पंचनामा लगभग रात के दस बजे हुआ था। पंचायतनामा कितने बजे समाप्त हुआ था उसे नहीं मालूम। पंचायतनामा के दिन ही दरोगा जी ने उसका बयान लिया था। दरोगा जी ने उसका बयान उसके सामने लिखा था या नहीं उसे नहीं मालूम। मृतक के शरीर पर खून लगा था। मृतक के चोट बांये तरफ सीने में तथा सिर के पीछे लगा था। सीने में दो जगह चोट लगा था।

जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो उस समय फिरोज भाग रहा था। भागते समय मृतक का पीठ नहीं चेहरा दिख रहा था क्योंकि घटनास्थल से उत्तर तरफ भाग रहा था। फिरोज घटना के अगले दिन ही गिरफ्तार हुआ था। साक्षी स्वयं कहा कि उसे ठीक से याद नहीं है। फिरोज अपने घर से गिरफ्तार हुआ था यह

उसे मालूम नहीं है। घटना से गिरफ्तारी तक फिरोज अपने घर रहा था या नहीं उसे नहीं मालूम। अभियुक्त फिरोज घटना के समय मृतक के सामने खड़ा था। फिरोज ने राड मारा उसके बाद आगे आकर खड़ा हुआ। इसलिए यह कहना गलत है कि चोट फिरोज के द्वारा नहीं पहुंचाया गया था। मृतक के सिर के पीछे जहां राड का चोट लगा था वहां से खून निकल रहा था। पोस्टमार्टम में डाक्टर ने मृतक के सिर के पीछे राड की चोट नहीं पाया तो इस संबंध में वह कुछ नहीं बता सकता। फिरोज के एक हाथ में राड तथा एक हाथ में चाकू था। वह दोनों हाथों से वार करते हुए पहले राड से फिर चाकू से मारा था। पुलिस ने उसके सामने आलाकत्ल राड व चाकू कभी बरामद नहीं किया था। घटनास्थल पर कोई मलवा या कूडे का ढेर जमा नहीं था और न ही घटनास्थल के आस-पास कोई मलबा या कूड़े का ढेर जमा था। घटना के बाद अभियुक्त फिरोज तत्काल भाग गया था। घटनास्थल बगीचा वादी जितेन्द्र/मृतक का ही है। घटना के समय भी वह आलाकत्ल राड व चाकू को दूर से देखा था नजदीक से नहीं देखा था इसलिए वह उसका हुलिया लंबाई चौड़ाई रंग रूप के बारे में नहीं बता सकता। जब वह घटनास्थल पर पहुंचा था तो उस समय जितेन्द्र व अन्य लोग पहुंच गये थे। वह घटना के तत्काल बाद घटनास्थल पर पहुंच गया था। वह तारा देवी व ज्ञानमती को भीड़ के नाते घटना वाले दिन घटनास्थल पर नहीं देखा था। वह भीड़ के कारण घटना वाले दिन घटनास्थल पर उदय नरायन यादव को नही देखा था। यह सही है कि उसने प्रथम बार के धारा- 161 दं०प्र०सं० के बयान में फिरोज द्वारा मृतक को चाकू व राड से मारने वाली बात वह नहीं बता सकता। उसने पुलिस को यह बताया था कि घटना जितेन्द्र के बगीचे में हुई थी यदि पुलिस ने उसके बयान में उपरोक्त बाते नहीं लिखा है तो वह इसका कोई कारण नहीं बता सकता।

अभियोजन पक्ष की ओर से **पी०डब्लू०-3** के रूप में **उदय नरायन यादव** को सशपथ परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि-

घटना दिनांक 10.06.2019 की है। वह साहूखोर चौराहे पर गया था। शाम को जब वह अपने घर लौटकर आया तो उसे पता चला कि उसके गांव के शशिकान्त को उसके ही गांव के मजहर, अफरोज अली, बरकत अली और फिरोज मार दिये है और उसको काफी चोट लग गयी है। उक्त सूचना पर ग्राम प्रधान होने के नाते पता किया तो पता चला कि कि शशिकान्त को लेकर अस्पताल बड़हलगंज गये है। उस सूचना पर वह भी बड़हलगंज अस्पताल गया। जब वह अस्पताल पहुंचा तो उसे पता चला कि शशिकान्त की मृत्यु हो गयी है। वह वहीं रूका रहा कुछ देर बाद अस्पताल पर ही बड़हलगंज थाने की पुलिस आ गयी और वहीं पर मृतक शशिकान्त के शव का पंचायतनामा उन लोगों के सामने दरोगा जी ने भरा था और उस का पंचायतनामें पर उसने भी अपना हस्ताक्षर बनाया था। वह अस्पताल पर लगभग साढ़े छः-सात बजे पहुंचा था। जिस पंचायतनामें पर उसने अपना हस्ताक्षर बनाया था वह पत्रावली में शामिल कागज संख्या-10क/1 लगायत 10क/2 है, जिस पर बने अपने हस्ताक्षर की वह पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श क-2 पहले से पड़ा हुआ है।

बचाव द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया कि:-

उसने दरोगा जी को यह बात बताया था कि घटना दिनांक 10.06.2019 की है। वह साहूखोर चौराहे पर गया था। शाम को जब वह अपने घर लौटकर आया तो उसे पता चला कि उसके गांव के शशिकान्त को उसके ही गांव के अफरोज अली, मजहर अली, बरकत अली और फिरोज मार दिये है उनको काफी चोट लग गयी है। घटना के बारे में उसके घर से फोन जाने पर उसे जानकारी हुई थी। फोन उसे छः-सवा छः बजे शाम को आया था। घटना की जानकारी होने के बाद वह घर आया और फिर अस्पताल गया। थाने पर उसका बयान दरोगा जी लगभग घटना के दस दिन बाद लिये थे। फिर कहा कि दरोगा जी उसका बयान घटना के दिन ही लिये थे। दरोगा जी घटना के दिन के बाद उसका कोई बयान नहीं लिये थे।

अभियोजन पक्ष की ओर से **पी०डब्लू०-4** के रूप में **ज्ञानमती गौड़** को सशपथ परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि-

घटना दिनांक 10.06.2019 के शाम छः बजे की है। वह बकरी चराने गयी थी। वह जितेन्द्र के बगीचे में बैठकर बकरी चरा रही थी। उसने देखा कि फिरोज वहां बगीचे में घूम रहा था। उसी बीच शशिकान्त पानी पीने लियाकत के नल पर गया। उसी बीच शशिकान्त को फिरोज ने चाकू से मार दिया। जो बांये तरफ मारा था तथा सिर पर राड से मारा था। उसी समय फिरोज के भाई अफरोज, बन्टी, मजहर व बरकत शशिकान्त को पकड़े थे और फिरोज चाकू मारा था। ये सभी लोग शशिकान्त को मारकर उत्तर तरफ जाकर पूरब तरफ भाग गये। शशिकान्त के घर का कोई नहीं था। लियाकत के घर के सामने बने पिच पर शशिकान्त को ले जाकर मारा गया था। इस घटना के बाद वह डर गयी थी और डरकर वह अपने घर भाग गयी। घटना बहुत से लोगों ने देखा। शशिकान्त के भाई जितेन्द्र आये थे और गाड़ी मंगवाकर कब शशिकान्त को ले गये वह नहीं देख पायी लेकिन वह लोग शशिकान्त को लेकर अस्पताल गये थे। शशिकान्त के मरने की सूचना अस्पताल से मिली थी।

बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि:-

उसके गांव बेदवली में कुल कितने घर है वह नहीं बता सकती क्योंकि वह 'दुल्हन' है। बेदवली गांव में गौड़ जाति के 5-6 घर होंगे। उसके गांव में मुस्लिम परिवार के इम्तियाज, मलिक, सुमराती का नाम जानती है। मुस्लिम टोले में मुस्लिम लोग का घर गांव के उत्तर तरफ है। गांव में जिन जिन लोगों को देखी है उन्हीं लोगों को वह जानती है। वह आज न्यायालय में बयान देने शशिकान्त के भाई जितेन्द्र के साथ आयी है। जितेन्द्र उसका किराया भाड़ा नहीं देते है। वह अपने किराये से न्यायालय आयी है। यह कहना सही है कि मृतक शशिकान्त व अभियुक्त बरकत अली के बीच गांव के रास्ते को लेकर काफी दिनों से विवाद था। उसी विवादित रास्ते से वह भी आती जाती है। उसके घर में पांच साल से बकरी नहीं है। पांच साल पहले उसके घर तीन बकरी थी। बकरी वह चराती थी।

वह बकरी चराने दो बजे, ढाई बजे जाती थी। शशिकान्त की मृत्यु 10 जून 2019 को हुई थी। उसे नहीं मालूम कि शशिकान्त की मृत्यु कब हुई थी लेकिन शशिकान्त की मृत्यु रात में हुई थी। वह शशिकान्त को देखने अस्पताल नहीं गयी थी। शशिकान्त को चोट लगने के बाद अस्पताल कौन और कैसे ले गया था वह नहीं बता सकती क्योंकि वह अपनी आंखों से नहीं देखी थी। घटना के समय मौके पर शशिकान्त के घर का कोई नहीं था और न ही अपने आंखों से किसी को देखी थी। घटना के समय गर्मी का माह था। गर्मी में छः बजे दिन डूब जाता है। 5-6 बजे तक वह और अन्य लोग बकरी चराकर अपने घर वापस चले आते थे। वह अपनी बकरी पहले यादव के खेत में चराती थी। चरते चरते बकरी जितेन्द्र के खेत और बगीचे में चली जाती थी। गांव में कुल कितने बगीचे है वह नहीं बता सकती क्योंकि वह दुल्हन है। जितेन्द्र के खेत के बगल में बगीचा है। बगीचा में कुल कितने पेड़ है वह नहीं बता सकती क्योंकि वह पेड़ों को गिनी नहीं हैं। बकरी पालने से आय नही होता या बकरी से रोजी रोटी नहीं चलती थी क्योकि बकरी तुरन्त आयी थी और तुरन्त बेच दी थी। बकरी वह किसको बेची थी उसे याद नहीं है।

वह अपने गांव के मुस्लिम परिवार के इम्तियाज, मालिक और सुमराती को जानती है इसके अलावा वह अपने गांव के किसी मुस्लिम परिवार को नहीं जानती है। दरोगा जी उसका बयान लिये थे। दरोगा जी ने उसका बयान दो महीने बाद जितेन्द्र गौड़ के घर लिया था। जितेन्द्र गौड़ ने उसे फोन करके बुलाया था कि दरोगा जी आये है बयान लेने के लिए। घटना के दिन से जिस दिन उसका बयान हुआ था उसके बीच में पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं किया था। वह अपने गाव के लियाकत को जानती है। लियाकत के घर पर कौन कौन रहता है वह नहीं बता सकती है क्योंकि लियाकत के घर वह कभी गयी नहीं है। घटना वाली बाग में कौन कौन से पेड स्थित है वह नहीं बता सकती है। शशिकान्त को कुल कितनी चोट लगी थी वह नहीं बता सकती। लियाकत के उत्तर दिशा में भी घर है। नल लियाकत के दरवाजे पर पूरब उत्तर के कोने पर है। घटना के दिन बकरी चराने उसके साथ गांव के बहुत से लोग गये थे। उसे याद नहीं है कि घटना के दिन उसके साथ कौन कौन बकरी चराने गया था। घटना के बारे में वह किसी को नहीं बतायी थी। लियाकत के घर से जहां वह बकरी चराती है वहां से लियाकत के घर की दूरी 15 फीट है। वह लियाकत के नल पर कभी पानी पीने नहीं गयी है। घटना देखने के बाद भी उसने कोई हल्ला या शोर नहीं किया था। घटना होने के बाद उसकी बकरी लेकर उसकी लड़की चली गयी थी और वह बाग में ही मौजूद थी। उसके सामने पुलिस नहीं आयी थी। घटना के 10-15 मिनट बाद ही वह अपने घर चली गयी। शशिकान्त को वह जब से अपने ससुराल से आयी है तब से जानती है। शशिकान्त को कुल तीन चोट लगी थी। घटना होने के बाद वह शशिकान्त के घर पर नहीं गयी थी। यह कहना गलत है कि शशिकान्त की हत्या प्रेम प्रसंग में हुई है। यह कहना सही है कि वह फिरोज को जानती पहचानती नहीं है। वह अपने गांव के लियाकत के घर कभी नहीं गयी है। वह अपने गांव के अफरोज व मजहर को जानती है जो लियाकत के घर के है और मजहर के पिता

का नाम ही लियाकत है। वह यह नहीं बता सकती कि घटना को उसके अलावा और किन किन लोगों ने देखा था। वह वर्ष के बारहों महीने का नाम नहीं जानती है। वह हिन्दी महीना और अग्रेजी महीना कोई नहीं जानती है। यह भी नहीं बता सकती कि किस महीने की घटना है। फिर कहा कि 10 जून की घटना है। वह यह नहीं बता सकती कि 10 जून को कौन सा दिन था। 10 जून के पहले कौन सी तारीख थी वह नहीं बता सकती। 10 जून के बाद कौन सी तारीख पड़ी है वह नहीं बता सकती। यह कहना सही है कि उसने अपने घर जाकर घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। वह शशिकान्त के पास लगभग आधा से एक घंटा थी। उसके साथ शशिकान्त के पास और कितने लोग थे उनका वह नाम नहीं बता सकती लेकिन और लोग भी थे। उसके सामने पुलिस नहीं आयी थी। घटना के दो महीने बाद बकरी बेच दी थी। घटना के बाद दरोगा जी जितेन्द्र के घर आकर उसका बयान लिये थे। दो महीने बाद आकर बयान लिये थे तारीख और दिन वह नहीं बता सकती। आलोक ने उसे बुलाया था कि आओ और बयान दो।

अभियोजन पक्ष की ओर से **पी०डब्लू०-5** के रूप में **डा० रोहित कुमार** को सशपथ परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि:-

दिनांक 11.06.2019 को वह जिला अस्पताल, गोरखपुर में तैनात था। उपरोक्त तिथि को उसकी डयूटी पोस्टमार्टम करने हेतु बी०आर०डी० मेडिकल कालेज, गोरखपुर में शव विच्छेदन गृह पर लगायी गयी थी। उपरोक्त तिथि 11.06.2019 थाना- बडहलगंज के थानाध्यक्ष द्वारा सील मोहर किया हुआ एक शव विच्छेदन हेतु भेजा गया था। जिसका सील मोहर दुरूस्त था। शव का सील खोला गया। शव मृतक शशिकान्त पुत्र नन्दलाल गौड उम्र लगभग 30 वर्ष वैदौली थाना बडहलगंज का था। शव पुरुष का था। शव को हेड का० विनोद कुमार व का० रविन्द्र कुमार के द्वारा लाया गया था, जो थाना बडहलगंज के थे। शव की पहचान भी इन्हीं लोगो से करायी गयी। शव की शारीरिक बनावट मध्यम औसत कद काठी की थी। शव के शरीर पर हाफ पैन्ट, अण्डरवीयर, बण्डी, रक्षासूत्र गले में धागा था। शव में अकड़न मौजूद थी। आँख व मुँह बन्द था। शव के ऊपर निम्नलिखित चोटे थी:-

> **चोट नम्बर 01-** शव के शरीर पर बाँये निप्पल व बांये क्लेरिकल के बीच में कटा हुआ घाव 5×2 सेन्टीमीटर जो कैविटी तक गहरा था, जिसको खोलने पर बाँया फेफड़ा पंचर्ड था, जिसमें लगभग 01 लीटर खून का थक्का जमा हुआ था।
>
> **चोट नम्बर 02-** बांये क्लेरिकल के नीचे 7 सेन्टीमीटर कटा हुआ घाव जो 5×2 सेन्टीमीटर कैविटी तक गहरा था।

चोट नम्बर 03- शव के सिर के आक्सपिटल रीजन पर कटा हुआ घाव 8×2 सेन्टीमीटर मसल डीप तक था। घाव को खोलने पर ब्रेन मेम्ब्रेन पीलापन लिये हुए था ।

मस्तिक का वजन 1200 ग्राम था। हृदय 200 ग्राम खाली था। आमाशय में पेस्टी मैटेरियल था छोटी आंत खाली थी। लीवर पन्चर्ड था। मृत्यु एक दिन के अन्दर की थी। मृत्यु का तत्कालिक कारण मृत्यु पूर्ण आयी चोटों से इमरेजिक शाक से हुई थी ।

शव का पोस्टमार्टम करने के बाद उसके द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट सख्या 1012 पर स्वयं अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार किया गया। जो पत्रावली में शामिल है, जिस पर बनाये अपने हस्ताक्षर की वह पुष्टि करता है, जिस पर **प्रदर्श क-4** डाला गया। पोस्टमार्टम के बाद थाना-बडहलगंज की पुलिस द्वारा शव लाने वाले आरक्षी को दो अदद सील बन्द लिफाफा दिया गया ।

बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है किः-

इस पोस्टमार्टम के बावत कभी भी किसी पुलिस अधिकारी ने उसका बयान नहीं लिया था। मृतक की मृत्यु दिनांक 10.06.2019 को 02:40 PM के आसपास हो सकती है। मृतक को आयी तीनों चोटें कटा हुआ घाव थी। मृतक को आयी हुई कटी चोटें तलवार, कैंची, टूटे हुए शीशे या लोहे के धारदार हथियार से आ सकती है। लंग्स तभी पंचर्ड होगा जब चोटहिल/मृतक को बून्ड की चोटें हों। मृतक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं भी स्टैप बून्ड नहीं लिखा है क्योकि वह कटे हुए घाव का एक प्रकार है। इनसाइड बून्ड सुपरफिशियल ओर डीप दोनों हो सकती है। मृतक को आयी हुई तीनों कटी हुई चोटें एक हथियार से है या नहीं है। यह जाँच का विषय है। चोट नम्बर- 03 आक्सपिटल रिजन धारदार हथियार की है। मृतक को आयी हुई तीनों चोटें दुर्घटनावश नहीं आ सकती है। मृतक को आयी चोटे कैसे आयी थी यह वह नहीं बता सकता लेकिन चोटे शार्प आब्जेक्ट की थी। वह उक्त शार्प आब्जेक्ट की लम्बाई, चौड़ाई एवं मोटाई एजेक्ट नहीं बता सकता।

अभियोजन पक्ष की ओर से **पी०डब्लू०-6** के रूप में **किशोरी लाल चौधरी** को सशपथ परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है किः-

दिनांक 10.06.2019 को वह थाना-बडहलगंज पर उप निरीक्षक के पद पर तैनात था। उपरोक्त तिथि को मु०अ०सं०-190/19, अन्तर्गत धारा- 147, 302, 504 एवं 506 भा०दं०सं० पंजीकृत हुआ। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रभान सिंह क्षेत्र में थे। उस उपनिरीक्षक को घटनास्थल पर जिल्द पंचायतनामा व अन्य दीगर कागजात नकल रपट व नकल चिक एफ० आई० आर० देकर हेड कां० विनोद कुमार, कां० रविन्द्र कुमार, उप निरीक्षक आशुतोष कुमार राय, हेड कां० जर्नादन सिंह, हेड कां० रामजी राम के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया। वह उपरोक्त तिथि दिनांक 10.06.2019 को सी०एच०सी० बडहलगंज के लिए रवाना हुआ। वहाँ पर पहुँचकर उसने देखा कि मृतक शशिकान्त पुत्र नन्दलाल गौड, निवासी वैदौली थाना बडहलगंज, जनपद गोरखपुर का शव स्ट्रेचर

पर रखा हुआ है। मौके पर परिवारीजन है। रो धो रहे हैं। समझा बुझाकर शान्त कराया। उसी समय मौके पर प्रभारी निरीक्षक चन्द्रभान सिंह भी आ गये। उनके निर्देशन पर सी०एस०टी० परिसर में पर्याप्त बिजली की रोशनी में उसके द्वारा उपरोक्त मृतक शशिकान्त का पंचायतनामा पंचाग नियुक्त कर किया गया। उसके द्वारा पंचायतनामा 23 बजकर 30 मिनट पर समाप्त कर दिया गया। पंचायतनामा भरने के बाद नियुक्त पंचागों को पढाकर सुनाकर पंचायतनामें के प्रपत्र पर उनका हस्ताक्षर बनवाया। शव को सफेद कपडे में रखकर सील सर्व मोहर कर पी०एम० हेतु हेड कां० विनोद कुमार व कां० रविन्द्र कुमार को कागजात देकर बी०आर०डी० मेडिकल कालेज रवाना किया गया। जो पंचायतनामा उसके द्वारा मृतक शशिकान्त का भरा गया, वह पत्रावली में शामिल कागज संख्या- 10क/1 लगायत 10क/2 है। जिस पर बनाये अपने हस्ताक्षर की वह पुष्टि करता है, जिस पर पहले से प्रदर्श क-2 पड़ा हुआ है। पुलिस फार्म संख्या- 13, पुलिस फार्म संख्या- 379 फोटो लाश उसके द्वारा मौके पर ही तैयार किया गया, जो उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है। जो पत्रावली में शामिल कागज संख्या क्रमशः 11क व 12क है, जिस पर कमशः **प्रदर्श क-5** व **प्रदर्श क-6** डाला गया। सी०एम०ओ० को पत्र और प्रतिसार निरीक्षक को पत्र उसके द्वारा मौके पर ही उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार किया गया, जो पत्रावली में शामिल कागज संख्या क्रमशः 9/1 व 9/2 है, जिस पर क्रमशः **प्रदर्श क-7** व **प्रदर्श क-8** डाला गया ।

बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है किः-

घटना की जानकारी रात्रि में 22 बजकर 8 मिनट पर हुई थी। घटना की जानकारी होने के बावजूद वह घटनास्थल पर नहीं गया था, लेकिन वह प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र, बड़हलगंज गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट उसके सामने थाने पर नहीं लिखी गयी थी। वह प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र, बडहलगंज पर 22.25 मिनट पर पहुंचा था। प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र बडहलगंज की दूरी थाना बडहलगंज से अधिकतम 500 मीटर की दूरी पर स्थित होगा। जब वह प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र पहुँचा तो वहाँ पर अन्य कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। वह ही पहुँचकर पचनामें की कार्यवाही पूर्ण किया था। पंचनामे की कुल कार्यवाही में लगभग 1 घण्टे का समय लगा था। उसने पंचनामा करते समय मृतक के शरीर पर आयी चोटों का अवलोकन स्वयं अपनी आँखो से किया था। मृतक के शरीर पर जाहिरा 03 चोटे थी। दो चोटें सामने की तरफ सीने व पेट के बीच में थी और एक चोट सिर में पीछे की तरफ थी। पंचनामा करते समय उसके साथ उसके अलावा हेड कां० विनोद कुमार व कां० रविन्द्र कुमार मौजूद थे। पंचनामा करते समय वहाँ पर मृतक के काफी परिजन मौजूद थे, वह गिनती नहीं बता सकता। उसने मृतक के परिवारीजन से मृतक को आयी चोटों के बारे में पूँछताछ किया था। उसने जितने पंचान वहाँ नियुक्त थे, उन सबसे चोट के बारे में पूँछताछ किया था। पंचानों की नियुक्ति उसके द्वारा ही की गयी थी। उसने भीड में शामिल लोगों में से 5 लोगों को अपनी स्वेच्छा व मर्जी से पंचाग नियुक्त कर उनसे पूँछताछ किया था। उसने 23.30 मिनट पर शव को पोस्टमार्टम हेतु आरक्षीगण को सुपुर्द किया था। यह

कहना गलत है कि उसने पंचनामें से सम्बन्धित पूरी कार्यवाही थाने में बैठकर किया था। विवेचक ने उसका बयान लिया था, तिथि नहीं बता सकता। उसकी रवानगी पंचनामा हेतु जी०डी० में समय 22.08 पर हुई थी। घटना की जानकारी उसे थाने पर 22.08 बजे हुई थी। उससे पहले उसे इस घटना की कोई जानकारी नहीं थी। घटना की जानकारी होने के बाद लगभग 22 मिनट के अन्दर वह सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र, बडहलगंज में शव के पास पहुँच गया। थाने से सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र की दूरी लगभग 500 मीटर है। वह अपनी मोटरसाईकिल से सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र पहुंचा था।

अभियोजन पक्ष की ओर से **पी०डब्लू०-7** के रूप में **मुकेश चन्द** को सशपथ परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि:-

दिनांक 10.06.2019 को वह थाना बड़हलगंज बतौर का० मोहर्रिर के पद पर तैनात था। उपरोक्त तिथि को उसकी ड्यूटी रात्रि नौ बजे से सुबह अगले दिन नौ बजे तक थी। उपरोक्त तिथि को वादी मुकदमा जितेन्द्र गौड़ एक हस्तलिखित तहरीर लेकर थाना स्थानीय पर आये। उपरोक्त तहरीर के आधार पर उसके द्वारा मुकदमा अपराध संख्या- 190/2019, धारा- 147, 504, 506, 302 भा०दं०सं० थाना- बड़हलगंज, जिला- गोरखपुर पंजीकृत किया जिसको जी०डी० नं०- 60 पर उसके द्वारा पंजीकृत किया गया, जो पत्रावली में शामिल कागज संख्या- 4क/1 लगायत 4क/2 है, जिस पर **प्रदर्श क-9** डाला गया। अभियोग पंजीकृत करने के बाद वादी मुकदमा जितेन्द्र गौड़ के लाये तहरीर के पृष्ठ भाग पर मुकदमा अपराध संख्या, धारा थाना लिखते हुए थाने की मोहर लगाकर अपना सूक्ष्म हस्ताक्षर बनाया था। मुकदमा की जी०डी० कायमी उसके द्वारा तैयार करायी गयी थी, जो जी०डी० 60 पर तैयार करायी गयी थी, जो पत्रावली में शामिल कागज संख्या- 6क/8 है, जिस पर थाने की मोहर लगाकर अपना सूक्ष्म हस्ताक्षर बनाया है, जिस पर **प्रदर्श क-10** डाला गया। एफ०आई०आर० चिक कायमी दोनों उसके द्वारा कम्प्यूटर आपरेटर से बोलकर लिखा था।

बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि:-

जिस तहरीर के आधार पर उसने मुकदमा दर्ज किया था उस पर एस०एच०ओ० बड़हलगंज का कोई लिखित आदेश नहीं है। वादी मुकदमा ने यह तहरीर अपने स्वंय के हाथ से लिखा था या किसी के हाथ से लिखवा कर लाया था उसे पता नहीं है। यह कहना सही है कि तहरीर पर वादी मुकदमा ने उसके सामने हस्ताक्षर नहीं किया था बल्कि पहले से हस्ताक्षर किया हुआ तहरीर उसे दिया था। तहरीर मिलने के तुरंत बाद उसने तहरीर को कम्प्यूटर प्रोफार्मा में अंकित कर दिया था जिसमें लगभग दस से पन्द्रह मिनट का समय लगा होगा। इस तहरीर को उसने पहले जी०डी० में अंकन किया था उसके बाद एफ०आई०आर० दर्ज किया था। तहरीर को जी०डी० में अंकित करने में दस मिनट का समय लगा होगा तथा उसके बाद उसने एफ०आई०आर० दर्ज किया

था। तहरीर जब उसके सामने वादी मुकदमा लेकर आया तब थाने पर थाने के एस०एस०आई० व अन्य बहुत सारे दरोगा मौजूद थे।

अभियोजन पक्ष की ओर से **पी०डब्लू०-8** के रूप में **चन्द्रभान सिंह** को सशपथ परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि:-

दिनांक 10.06.2019 को थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर पर प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनात था। उपरोक्त तिथि को थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०- 190/2019, धारा- 147, 302, 504, 506 भा०दं०सं० पंजीकृत हुआ, जिसकी विवेचना उसके द्वारा अभियोग पंजीकृत होने के तुरन्त बाद ग्रहण की गयी। उपरोक्त तिथि 10.06.2019 को ही नकल चिक, नकल रपट का अवलोकन कर उसका अंकन केस डायरी में किया। एफ०आई०आर० लेखक मुकेश चन्द व वादी मुकदमा जितेन्द्र गौड़ का बयान लेकर उसका अंकन केस डायरी में किया। वादी मुकदमा के निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण उसके द्वारा किया गया और मौके पर ही घटनास्थल की नक्शा नजरी स्वय के हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार किया, जो पत्रावली में शामिल कागज संख्या- 8क/1 है, जिस पर बने अपने हस्ताक्षर की वह पुष्टि करता है, जिस पर **प्रदर्श क-11** डाला गया। घटनास्थल से ही उसके द्वारा खूनालूदा व सादी मिट्टी कब्जे में लेकर अलग अलग डिब्बों में रखकर सील सर्वमोहर नमूना मोहर तैयार किया गया। मौके पर ही फर्द उसने अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार किया जो पत्रावली में शामिल कागज संख्या- 7क है, जिस पर पहले से ही प्रदर्श क-3 पड़ा है। जिसका अंकन केस डायरी में करते हुए पर्चा नं०-1 किता किया गया। दिनांक 12.06.2019 को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन कर उसका अंकन केस डायरी में किया गया व वांछित अभियुक्त फिरोज अली को गिरफ्तार किया। उसने घटना में प्रयुक्त चाकू व राड को घटना कारित करने के बाद फेंकने की बात बताया। उसके द्वारा उसके बताये स्थान पर चाकू व राड को तलाश किया नहीं मिला। अभियुक्त को रपट नं०- 29 दिनांक 12.06.2019 पर थाना हवालात दाखिल किया और पुनः घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल व राड के बावत पूछताछ किया। अभियुक्त के द्वारा बताया गया कि बैदौली में मलबे के ढेर में छुपा कर रखा हूँ और उसको चलकर बरामद करा सकता है। अभियुक्त के बताये अनुसार वह साक्षी अपने हमराहियान व अभियुक्त को लेकर बैदौली पहुंचा जहां घटना घटित हुई थी। अभियुक्त के बताये अनुसार वहां से एक अदद चाकू व एक अदद लोहे की राड मलबे के ढेर से अभियुक्त की निशानदेही पर बरामद किया, जिसकी फर्द उसने मौके पर एस०आई० किशोरी लाल चौधरी से बोलकर लिखवाया और उस पर अभियुक्त फिरोज अली का हस्ताक्षर बनवाया और अपना भी हस्ताक्षर बनाया और फर्द लेखक किशोरी लाल चौधरी व हमराह का० धर्मेन्द्र चौधरी का फर्द पर हस्ताक्षर बनवाया, जो पत्रावली में शामिल का०सं० 7क/2 है, जिस पर बने अपने हस्ताक्षर की वह पुष्टि करता है, जिस पर **प्रदर्श क-12** डाला गया। बरामदशुदा आला कत्ल एक अदद चाकू व लोहे की राड़ मौके पर ही अलग अलग कपड़ों में रखकर सील सर्वमोहर नमूना तैयार किया गया, जिसका अंकन उसके द्वारा केस डायरी

में किया गया व गिरफ्तारशुदा अभियुक्त फिरोज अली के बयान का अंकन उसके द्वारा केस डायरी में किया गया। अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल किया गया। अभियुक्त का बयान धारा- 164 दं०प्र०सं० दर्ज किये जाने हेतु रिपोर्ट न्यायालय प्रेषित की गयी और अभियुक्त को न्यायालय के 14 दिवसी रिमाण्ड हेतु पेश किया गया। जिसका अंकन केस डायरी में करते हुए पर्चा नं०-2 किता किया गया। दिनांक 16.06.2019 को अभियुक्तगण जो घटना में वांछित थे उनको साउनखोर के आगे तैरना पुल के पास से गिरफ्तार किया। अभियुक्त बंटी उर्फ फारूख अली, अभियुक्त अफरोज, अभियुक्त बरकत अली व मजहर अली को गिरफ्तार किया व उनका बयान लेकर केस डायरी में अंकन किया व अभियुक्तगण के बावत गिरफ्तारी प्रपत्र मौके पर तैयार किया, जो पत्रावली में शामिल का०सं०- 16क/2 है, जिस पर **प्रदर्श क-13** डाला गया। अभियुक्त ने अपना जुर्म इकबाल किया। धारा- 164 दं०प्र०सं० के बावत रिपोर्ट न्यायालय प्रेषित किया गया। अभियुक्तों को 14 दिवसी रिमाण्ड हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसका अंकन केस डायरी में करते हुए पर्चा नं०-3 किता किया गया। दिनांक 29.06.2019 को अभियुक्त अफरोज अली, मजहर अली, बंटी, बरकत अली के 14 दिवसी न्यायिक अभिरक्षा हेतु न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसका अंकन केस डायरी में करते हुए पर्चा नं०-4 किता किया गया। दिनांक 30.06.2019 को मृतक शशिकान्त का पंचायतनामा का अवलोकन कर उसका अंकन केस डायरी में किया। मूल पोस्टमार्टम का अवलोकन कर उसका अंकन केस डायरी में किया व पंचान के गवाह जितेन्द्र गौड़, उदयनरायन यादव, आलोक यादव, अशोक गौड़ व अमरजीत यादव के बयान का अंकन करते हुए पर्चा नं०- 5 किता किया गया। दिनांक 09.07.2019 को अभियुक्त फिरोज अली के रिमाण्ड की याचना न्यायालय में की गयी जिसका अंकन केस डायरी में करते हुए पर्चा नं०-6 किता किया गया। दिनांक 12.07.2019 को अभियुक्त अफरोज अली, मजहर अली, बंटी व बरकत अली के 14 दिवसी रिमाण्ड हेतु न्यायालय प्रार्थऩा पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसका अंकन केस डायरी में करते हुए पर्चा नं०-7 किता किया गया। दिनांक 23.07.2019 को अभियुक्त फिरोज के 14 दिवसी रिमाण्ड हेतु न्यायालय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए पर्चा नं०-8 किता किया गया। अभियुक्त फिरोज अली की गिरफ्तारी दिनांक 12.06.2019 को उसके द्वारा समय 01.50 बजे की गयी जिसका गिरफ्तारी प्रपत्र पत्रावली में शामिल का०सं०-16क/1 है जिस पर **प्रदर्श क-14** डाला गया।

दिनांक 12.06.2019 को वह और उसके हमराह किशोरीलाल चौधरी व धर्मेन्द्र चौधरी व का० चालक दीनानाथ यादव मय वाहन सरकारी मय अभियुक्त फिरोज अली उपरोक्त के साथ वउम्मीद बरामदगी घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल चाकू व लोहे का राड बहवाले रपट नं 32 समय 12.02 दिनांक 12.06.2019 थाने से रवाना होकर घटना स्थल ग्राम बेदौली आया। अभियुक्त ने गाड़ी रुकवाकर गाड़ी से उतर कर घटनास्थल के पास कुछ दूरी पर पड़े मलबे के ढेर के पास उसे ले गया तथा मलबे के ढेर के अन्दर अपने हाथ से एक अदद चाकू व

एक अदद लोहे का राड निकाल कर उसे दिया तथा बताया कि साहब यह वही चाकू व राड है जिससे उसने दिनांक 10.06.2019 को अपने पडोसी शशिकान्त को जान से मारने की नियत से हमला कर चोट पहुँचा कर उसकी हत्या कर दिया था। घटना के बाद इस चाकू व राड को यही पर मलबे में छिपा दिया था। जो आज दे रहा है। उक्त बरामद चाकू व लोहे का राड कब्जे में लिया गया। जिसका हुलिया फर्द बरामदगी में अंकित है और मौके पर ही एस०आई० श्री किशोरी लाल चौधरी से बोल बोल कर लिखवाकर राड व चाकू को अलग अलग कपड़ो में रखकर सील मुहर किया गया। सभी गवाहान व अभियुक्त के हस्ताक्षर फर्द पर बनवाए गए। उसके भी फर्द पर हस्ताक्षर है जिसकी वह पहचान करता है, जिस पर **प्रदर्श क-12** पड़ा है। जो फर्द बरामदगी कागज सं०-7क/2 है जो शामिल मिसिल पत्रावली है। न्यायालय के समक्ष आलाकत्ल जो सील मुहर हालात में न्यायालय में सफेद कपड़े पर अंकित है। जिस पर काले स्केज से कपड़े पर एक अदद लोहे के राड आलाकत्ल बरामद निशानदेही फिरोज अली निवासी बेदौली थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर जिस पर मुकदमा अपराध सं०-190/19, धारा- 147, 302, 504, 506 भा०दं०सं० थाना बड़हलगंज दिनांकित 12.06.2019 अंकित है व Seen i/c cjm अंकित है। एक चिपकी लगी है वह फटा है। 337-S-19 अंकित है। न्यायालय के आदेश पर सील को तोड़ा गया जिसके अंदर एक लोहे का राड मौजूद है। लोहे के राड पर **वस्तु प्रदर्श-1** व कपड़े पर **वस्तु प्रदर्श-2** डाला गया। एक रक्त रंजित चाकू मौजूद है जिस पर एक स्लिप लगी है जो अपठनीय है। चाकू पर **वस्तु प्रदर्श-3** डाला गया व चाकू वाले कपड़े पर काला स्केज से एक अदद चाकू रक्त रंजित अभियुक्त फिरोज अली मुकदमा अपराध सं०- 190/19, धारा- 147, 302, 504, 506 भा०दं०सं० थाना बड़हलगंज दिनांकित 12.06.2019 अंकित है व Seen i/c cjm अंकित है व 337-S-19 अंकित है। चाकू वाले कपड़े पर **वस्तु प्रदर्श-4** डाला गया। खूदा लूदा मिट्टी पर **वस्तु प्रदर्श-5** व डिब्बे पर **वस्तु प्रदर्श-6** डाला गया। सादी मिट्टी पर **वस्तु प्रदर्श-7** व डिब्बे पर **वस्तु प्रदर्श-8** व कपड़े पर वस्तु प्रदर्श- 9 डाला गया।

बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि:-

इस घटना की जानकारी उसे पहली बार रात लगभग दस बजे हुई थी जब वादी मुकदमा थाने पर आकर तहरीर दिया था। उसे यह ध्यान नहीं है कि वादी मुकदमा ने तहरीर सीधे उसे दिया था या थाना कार्यालय में दिया था। वह घटनास्थल पर करीब 10.30 बजे से 11 बजे के बीच पहुंचा था। उसे थाने से घटनास्थल पहुंचने में करीब 20 मिनट लगा। एफ०आई०आर० दर्ज होने के तुरंत बाद इस मामले की विवेचना उसे मिल गयी थी और उसने तुरंत विवेचना करना शुरू कर दिया था। उसने पहले पर्चे में नकल चिक, अवलोकन नकल रपट, बयान लेखक एफ०आई०आर० थाने पर किता किया था तथा उसके बाद घटना स्थल पर प्रस्थान किया तथा ग्राम बेदौली जाकर वादी मुकदमा का बयान लेकर उसको पर्चे में किया तथा वादी मुकदमा की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाकर केस डायरी में मौके पर ही अंकित किया। उसे नकल चिक, बयान लेखक, अवलोकन नकल रपट केस डायरी में अंकित करने में लगभग

पांच- सात मिनट का समय लगा होगा। वादी मुकदमा एफ०आई०आर० लिखवाकर चला गया था और उसे गाँव में मिला था। घटनास्थल का निरीक्षण करने व उसका नक्शा नजरी बनाने तथा वादी के बयान व नक्शा नजरी का केस डायरी में अंकन करने में लगभग आधे घण्टे का समय लगा होगा। घटनास्थल का निरीक्षण, वादी मुकदमा का बयान, नक्शा नजरी का केस डायरी में अंकन उसने टार्च व लालटेन की रोशनी में किया था। गवाह ने बाद में खुद बताया कि संभवतः घटनास्थल पर बिजली का खंभा व लाइट भी मौजूद थी उसकी रोशनी में भी किया था। घटनास्थल का निरीक्षण उसे वादी मुकदमा ने कराया था। यह कहना सही है कि उसने अभियुक्त फिरोज अली के पास से जो कथित आलाकत्ल/ चाकू व लोहे का राड बरामद किया था। उस स्थान का नक्शा नजरी नहीं बनाया था बल्कि फर्द में विवरण अंकित किया था। उक्त आलाकत्ल जिस मलबे से बरामद किया गया था वह कूड़े का ढेर था। उक्त कूड़े का ढेर बेदौली गांव में, घटना स्थल के पास ही स्थित था। यह कहना सही है कि आलाकत्ल बरामद करने व फर्द बनाने के समय गांव के लोग मौजूद थे लेकिन कोई भी प्राइवेट व्यक्ति का उसने बयान केस डायरी में नहीं दर्ज किया था क्योंकि कोई भी व्यक्ति गवाही के लिए गांव में दुश्मनी होने के कारण तैयार नहीं हुआ था। उसने अभियुक्त फिरोज अली के निशानदेही पर जो कथित आलाकत्ल बरामद किया था वह दिन के करीब 12.40 बजे किया था। यह कहना सही है कि आलाकत्ल के रूप में जो उसने अभियुक्त के निशानदेही पर चाकू बरामद किया है उसका फर्द बरामदगी में अंकन करते समय उसने अंकित किया है कि चाकू पर सूखा हुआ मिट्टी व खून लगा हुआ प्रतीत होता है जो सूख गया है। जिसका अर्थ मिट्टी व खून चाकू पर लगा भी हो सकता है और नहीं भी लगा हो सकता है। यह भी कहना गलत है कि फर्द बरामदगी में दिखाई गई आलाकत्ल चाकू न होकर बड़ी वाली छूरी है। वह यह नही बता सकता कि प्रश्नगत चाकू छूरी से अगर मानव शरीर में वार किया जाएगा तथा प्रश्नगत आलाकत्ल शरीर के अंदर जाएगा तो किस साइज का घाव होगा। बाद में यह कहा कि यह तो डाक्टर ही अच्छी तरह से बता सकते हैं। यह कहना सही है कि उसने नक्शा नजरी में जो घटनास्थल दिखाया है वह घटनास्थल सड़क से सटे लियाकत अली के घर के सामने सरकारी नल के पास घटना घटित होना उसके द्वारा दिखाया गया है। यह भी कहना सही है कि उसने नक्शा नजरी वादी के निशानदेही पर ही बनाया था परंतु घटनास्थल के बारे में अन्य लोगों से भी पूछताछ किया था। लेकिन उन लोगों का नाम नक्शा नजरी या केस डायरी में अंकन नहीं किया है। उसने मृतक के शव को पहली बार पंचायतनामा भरे जाने के दौरान देखा था। मृतक के शरीर पर उसकी जानकारी में कुल तीन चोटें आई थी जो पी०एम० रिपोर्ट से भी प्रमाणित है। यह कहना सही है कि उसने दौरान विवेचना लियाकत अली जिसके घर के सामने घटना घटित होना कहा जाता है उनका बयान घटना के बावत केस डायरी में दर्ज नहीं किया है लेकिन पूछताछ किया था।

अभियोजन पक्ष की ओर से **पी०डब्लू०-9** के रूप में **रामाज्ञा सिंह** को सशपथ परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि:-

दिनांक 06.08.2019 को वह थाना प्रभारी निरीक्षक बड़हलगंज जनपद गोरखपुर में तैनात था। मुकदमा अपराध सं०- 190/19, धारा- 147, 302, 504, 506 भा०दं०सं० थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर की विवेचना उसके द्वारा पूर्व विवेचक के स्थानांतरण के बाद ग्रहण किया गया। जिसमें पर्चा नं०- 9 किता किया गया है जिसमें अभियुक्त फिरोज अली का 14 दिन न्यायिक अभिरक्षा अंकित है। दिनांक 12.08.2019 को पर्चा नं०- 10 किता किया गया। जिसमें पूर्व विवेचक द्वारा पर्चा नं०- 1 से लेकर पर्चा नं०- 8 तक अवलोकन किता किया गया है। दिनांक 17.08.2019 को पर्चा नं०- 11 किता किया गया है जिसमें बयान चश्मदीद साक्षी आलोक यादव, बयान चश्मदीद साक्षी श्रीमती ज्ञानमती देवी, बयान चश्मदीद साक्षी श्रीमती तारा देवी का बयान किता किया गया है एवं घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल चाकू, राड व खूना लूदा मिट्टी व सादी मिट्टी विधि विज्ञान प्रयोगशाला दाखिल किया गया है जो अंकित है। दिनांक 23.08.2019 को पर्चा नं०- 12 किता किया गया है जिसमें बयान फर्द गवाह आलोक बयान फर्द गवाह अमरजीत यादव, बयान शवविच्छेदनकर्ता डॉ० रोहित कुमार कॉर्डियोलाजिस्ट का बयान अंकित किया गया है एवं पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए अफरोज अली पुत्र बरकत अली, मजहर अली पुत्र स्व० मस्तान अली, फिरोज अली पुत्र मजहर अली और बरकत अली पुत्र मस्तान अली, बंटी पुत्र मजहर अली, निवासीगण ग्राम- बेदौली, थाना- बड़हलगंज, जनपद- गोरखपुर के विरुद्ध धारा 147, 302, 504, 506 IPC के तहत न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। आरोप पत्र पर उसका हस्ताक्षर हैं जिसकी वह पहचान करता है, जिस पर **प्रदर्श क-13** डाला गया, जो शामिल मिसिल पत्रावली कागज संख्या- 3क/1 लगायत 3क/5 है।

बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि:-

वह बड़हलगंज थाने में वर्ष 2020-21 में रहा है, तारीख याद नहीं है। उससे पहले मामले की विवेचना चन्द्रभान सिंह इस्पेक्टर ने की थी। यह कहना गलत है कि घटना के बारे में उल्लिखित गवाहो के बारें में वादी मुकदमा से उसे जानकारी हुई तथा उनके बताने के आधार पर ही उनके हितबद्ध गवाहों का उसने बयान दर्ज किया था। इस घटना की विवेचना बड़हलगंज थाने में तैनाती के कितने बाद शुरु किया था यह याद नहीं है। फिर कहा कि 06.08.2019 को शुरु की। यह कहना गलत है कि उसने जिन गवाहो का बयान दर्ज किया था उन्हे थाने पर बुलाकर बयान लिया था। पुनः कहा कि उसने गाँव बेदौली में जाकर गवाहों का बयान लिया था। वह गवाह आलोक यादव का बयान दर्ज करने के लिए कितने बजे बेदौली गांव में पहुँचा था, नहीं बता सकता। उसने जिन भी गवाहों का बयान दर्ज किया था उनको पहले से सूचित नहीं किया था और ना ही उनको पहले से जानता था। पहली बार उसे आलोक यादव के चक्षुदर्शी होने की जानकारी उस समय हुई जब वह विवेचना के संबध में गांव में गया था। चर्चा के दौरान पता चला

कि आलोक यादव घटना का चक्षुदर्शी साक्षी था। आलोक यादव का बयान लेने में उसे 10-20 मिनट का समय लगा होगा। ज्ञानमती देवी, उसे वादी मुकदमा के घर के सामने मिली थी, जहाँ उसने उनका बयान दर्ज किया था। यह कहना सही है कि सभी गवाह वादी मुकदमा के घर के सामने एक ही साथ उससे मिले थे और वहीं उसने तीनों लोगों का बयान बारी बारी से दर्ज किया था। वह बेदौली गांव में उस दिन बयान दर्ज करने के लिए कितने समय रूका था यह उसे याद नहीं है। यह कहना सही है कि इस मामले की विवेचना ग्रहण करने के ग्यारह दिन बाद में बेदौली गांव घटना के संबंध में जानकारी लेने गया था। यह कहना गलत है कि उसने घटना के संबंध में वादी मुकदमा के बुलाने पर गवाहों का बयान लेने पूर्व सूचना लेकर बेदौली गांव गया था। यह कहना सही है कि उसने दौरान विवेचना गवाह आलोक यादव का एक ही बार बयान लिया था। गवाह ने फिर कहा कि आलोक यादव का दो बार बयान लिया गया था। पहली बार वह आलोक यादव फर्द के गवाह है कि नहीं, यह भूल गया था इसलिए उनका बयान नहीं लिया था। यह कहना सही है कि उसने दौरान विवेचना घटनास्थल का निरीक्षण नहीं किया था बल्कि घटनास्थल का निरीक्षण पूर्व विवेचक द्वारा किया गया था। यह भी कहना सही है कि दौरान विवेचना उसने घटनास्थल के बारे में जानने का कोई प्रयास नहीं किया था कि घटना किसके घर के समाने और कहाँ घटित हुई थी तथा घटनास्थल क्या था। पूर्व विवेचक द्वारा किये गए घटनास्थल के नक्शा नजरी का अवलोकन किया था।

उपरोक्त तर्कों के प्रकाश में पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण अफरोज अली, मजहर, फिरोज अली, बरकत अली तथा बंटी के विरूद्ध दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करके मामले की विवेचना की गयी और अभियुक्त बंटी का घटना की तिथि पर अल्प वयस्क होने के नाते उसका मामला किशोर न्याय बोर्ड संप्रेषित किया गया। शेष अभियुक्तगण का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया गया।

विचाराधीन अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा- 147, 302, 504, 506 भा०दं०सं० के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया और साक्ष्य अंकित कर मामले मामले की सुनवाई की गयी।

वादी मुकदमा द्वारा थाना बड़हलगंज, गोरखपुर में लिखित रूप से दी गयी तहरीर के अनुसार दिनांक 10.06.2019 को उसका भाई शशिकान्त, उम्र- 30 वर्ष, गांव के पूरब स्थित अपने बांग में टहलने गया था। वहां पर पहले से उसके गांव के अफरोज अली, मजहर अली, फिरोज अली, बरकत अली एवं बंटी मौजूद थे। वह भी पीछे से टहलने के लिए पहुंच गया तो देखा कि उपरोक्त सभी लोग एक राय होकर लाठी डंडा व हाथ मे लिये चाकू से उसके भाई को पीटने लगे, जिससे उसका भाई वही गिर गया और उसे काफी गंभीर चोटें आ गयी, तब वह गोहार करने लगा तो वहां पर गांव के छोटे छोटे लड़के व कुछ औरते भी पहुंच गयी, जिन्होंने घटना को देखा। मुल्जिमान लोग उसके पहुंचने के बाद भद्दी-भद्दी गाली व जान माल की धमकी देते हुए भाग गये। वह अपने भाई को गांव वालों की मदद से साधन करके अस्पताल बड़हलगंज पहुंचा तो डाक्टर साहब ने उसे

मृत घोषित कर दिया। यह घटना समय करीब शाम छः बजे की है। उसके भाई का शव सरकारी अस्पताल में रखा है।

उक्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किये गये।

आरोपों के समर्थन में अभियोजन पक्ष की ओर से वादी मुकदमा जितेन्द्र गौड़ को पी०डब्लू०-1 और चक्षुदर्शी साक्षी आलोक कुमार यादव (पी०डब्लू०-2) तथा श्रीमती ज्ञानमती गौड़ (पी०डब्लू०-4) को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डब्लू०-3 उदय नरायन यादव गांव का प्रधान है, जिसे पंचायतनामा के साक्षी के रूप तथा शव परीक्षण चिकित्सक साक्षी डा० रोहित कुमार पी०डब्लू०-5 के रूप में परीक्षित किया गया है। पी०डब्लू०-7 मुकेश चन्द द्वारा वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित किये जाने तथा पी०डब्लू०-6 किशोरी लाल द्वारा पी०डब्लू०-8 चन्द्रभान सिंह (प्रारंभिक विवेचक) के निर्देशन में पंचायतनामा की कार्यवाही किये जाने तथा साक्षी पी०डब्लू०-9 रामाज्ञा सिंह (अंतिम विवेचक) द्वारा आरोप पत्र प्रेषित किये जाने के साक्षी के रूप में परीक्षित कराया गया है।

साक्षी पी०डब्लू०-5 घटना का शव विच्छेदक साक्षी है, जिसके द्वारा मृतक के शव का विच्छेदन किया गया है और कुल तीन चोटों का वर्णन करते हुए शव विच्छेदन आख्या को प्रदर्श क-4 के रूप में प्रमाणित किया गया है। शव पर कुल तीन चोटें पायी गयी, जिन्हें धारदार हथियार से कारित किये जाने का उल्लेख किया गया है। चोट नम्बर 01- शव के शरीर पर बाँये निप्पल व बांये क्लेरिकल के बीच में कटा हुआ घाव 5×2 सेन्टीमीटर जो कैविटी तक गहरा था, जिसको खोलने पर बाँया फेफड़ा पंचर्ड था। चोट नम्बर 02- बांये क्लेरिकल के नीचे 7 सेन्टीमीटर कटा हुआ घाव जो 5×2 सेन्टीमीटर कैविटी तक गहरा था और चोट नम्बर 03- शव के सिर के आक्सपिटल रीजन पर कटा हुआ घाव 8×2 सेन्टीमीटर मसल डीप तक था। शव के सामने की ओर चाकू (धारदार हथियार) से दोनों चोटें तथा चोट नं०-3 सिर के आक्सपिटल रीजन पर एक चोट पायी गयी। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी द्वारा स्पष्ट किया गया है कि मृतक को आयी हुई तीनों कटी हुई चोटें धारदार हथियार की है। चोटे शार्प आब्जेक्ट की थी। कुंदाले व लाठी-डण्डे की किसी चोट का वर्णन नहीं है।

साक्षी पी०डब्लू०-8 प्रारंभिक विवेचक द्वारा अभियुक्त फिरोज अली को दिनांक 12.06.2019 को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर बैदौली जहां घटना घटित हुई थी, से एक अदद चाकू एवं एक अदद लोहे की राड मलबे के ढेर से बरामद किया जाना कहा गया, जिसकी फर्द मौके पर एस०आई० किशोरी लाल चौधरी (पी०डब्लू०-6) से बोलकर लिखवाये जाने का कथन किया गया है। उक्त फर्द को प्रदर्श क-12 के रूप में न्यायालय के समक्ष साबित किया गया।

उक्त साक्षी पी०डब्लू०-8 द्वारा अभियोग पंजीकृत होने के तुरंत बाद विवेचना किया जाना कहा गया और दिनांक 10.06.2019 को ही नकल चिक, नकल रपट का अवलोकन कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक मुकेश चन्द व वादी

मुकदमा जितेन्द्र गौड़ का बयान अंकित कर वादी मुकदमा की निशानदेही पर घटनास्थल की नक्शा नजरी मौके पर स्वयं के हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार किया जाना कहा गया, जो पत्रावली में शामिल कागज संख्या-8क/1 है, पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि किया, जिस पर प्रदर्श क-11 डाला गया और घटनास्थल से ही उसके द्वारा खून आलूदा मिट्टी व सादी मिट्टी कब्जे में लेकर अलग अलग डिब्बों में रखकर सील सर्वमोहर नमूना मोहर तैयार किये जाने का साक्ष्य दिया गया है। इस साक्षी (पी०डब्लू०-8) द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट किया गया कि घटना की जानकारी पहली बार रात लगभग दस बजे हुई जब वादी मुकदमा थाने पर आकर तहरीर दिये थे। साक्षी घटनास्थल पर करीब 10.30 बजे से 11.00 बजे के बीच पहुंचा। थाने से घटनास्थल पर पहुंचने में करीब 20 मिनट लगे। थाने पर एफ०आई०आर० दर्ज होने के तुरन्त बाद उसे विवेचना मिल गयी थी और उसने विवेचना करना तुरंत शुरू कर दिया था। प्रतिपरीक्षा में भी पुनः स्पष्ट किया कि वादी मुकदमा की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाकर केस डायरी में मौके पर ही अंकित किया।

साक्षी पी०डब्लू०-9 मामले का अंतिम विवेचक और आरोप पत्र प्रेषित करने वाला साक्षी है, जिसके द्वारा प्रारंभिक विवेचक साक्षी पी०डब्लू०-8 की विवेचना को आगे बढ़ाते हुए दिनांक 17.08.2019 को पर्चा नं०-11 किता किया जाना कहा गया, जिसमें बयान चश्मदीद साक्षी आलोक यादव (पी०डब्लू०-2), बयान चश्मदीद साक्षी श्रीमती ज्ञानमती देवी (पी०डब्लू०-4), बयान चश्मदीद साक्षी तारा देवी अंकित किया जाना कहा गया है। इस साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट किया गया है कि वादी मुकदमा के बताने के आधार पर ही उसने हितबद्ध गवाहों का बयान दर्ज किया था। उसने गांव बैदौली में जाकर गवाहों का बयान लिया था। पहली बार उसे आलोक यादव (पी०डब्लू०-2) के चश्मदीद होने की जानकारी उस समय हुई जब वह विवेचना के संबंध में गांव में गया था। चर्चा के दौरान उसे पता चला कि आलोक यादव घटना का चश्मदीद साक्षी था। ज्ञानमती देवी (पी०डब्लू०-4) उसे वादी मुकदमा के घर के सामने मिली थी। उसका उसने बयान दर्ज किया था। यह कहना सही है कि सभी गवाह वादी मुकदमा के घर के सामने उसे मिले थे और वही उसने तीनों गवाहों का बयान बारी बारी से दर्ज किया था।

साक्षी पी०डब्लू०-7 मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक है, जिसने कहा कि वादी मुकदमा जितेन्द्र गौड़ एक हस्तलिखित तहरीर लाकर थाना स्थानीय पर आया, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, जो पत्रावली में शामिल है। उस पर प्रदर्श क-9 डाला गया। प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट किया कि यह कहना सही है कि तहरीर पर वादी मुकदमा ने उसके सामने हस्ताक्षर नहीं किया था बल्कि पहले से हस्ताक्षर की हुई तहरीर उसे दिया था।

पी०डब्लू०-6 किशोरी लाल भी पुलिस का साक्षी है, जिसने दिनांक 10.06.2019 को सी०एच०सी० बड़हलगंज पहुंचकर देखा कि मृतक शशिकान्त पुत्र नन्दलाल का शव स्ट्रेचर पर रखा हुआ है। उसी समय मौके पर प्रभारी निरीक्षक चन्द्रभान सिंह भी आ गये। उसके द्वारा पंचायतनामा 23.30 पर समाप्त

कर दिया गया। पंचायतनामा भरने के बाद उसे पंचानों को सुनाकर उनका हस्ताक्षर बनवाया गया। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने स्पष्ट किया कि घटना की जानकारी उसे रात 22.08 पर हुई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट उसके सामने थाने पर नहीं लिखी गयी थी। यह साक्षी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बड़हलगंज पर 22.25 पर पहुंचा था। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दूरी थाना बड़हलगंज से अधिकतम पांच सौ मीटर है। जब वह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचा तो वहां कोई अन्य पुलिसकर्मी नहीं था। पंचायतनामा की कार्यवाही में कुल एक घंटे का समय लगा था। मृतक के शव पर जाहिरा तीन चोटें थी। दो चोटे सामने की तरफ सीने पर तथा एक चोट सिर में पीछे की तरफ थी।

साक्षी पी०डब्लू०-3 उदय नरायन यादव ग्राम प्रधान होने के नाते मृतक शशिकान्त की घटना की सूचना पर बड़हलगंज अस्पताल गया और पंचायतनामें के साक्षी के रूप में पंचायतनामे पर अपना हस्ताक्षर बनाया जाना कहा। यह साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है।

उपरोक्त औपचारिक चिकित्सक एवं पुलिस साक्षियों के साक्ष्य के अवलोकन उपरांत कथित घटना के वर्णित चक्षुदर्शी साक्षीगण पी०डब्लू०-1, पी०डब्लू०-2 तथा पी०डब्लू०-4 के साक्ष्य का विश्लेषणात्मक अवलोकन किया गया। साक्षी पी०डब्लू०-1 वादी मुकदमा है। पी०डब्लू०-2 तथा पी०डब्लू०-4 को चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में परीक्षित किया गया है।

साक्षी पी०डब्लू०-1 वादी मुकदमा है। जिसकी ओर से दिये गये प्रार्थना पत्र (तहरीर) के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की गयी है। साक्षी पी०डब्लू०-1 द्वारा उक्त तहरीर अपने हाथ से नहीं लिखी गयी, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखाकर अपना हस्ताक्षर करके थाने में प्रस्तुत की गयी है। किन्तु उक्त तहरीर लिखने वाले के नाम का न तो उल्लेख किया गया और न ही साक्षी के रूप में न्यायालय में परीक्षित कराया गया। तहरीर में अभियुक्तगण द्वारा घटना वादी के बाग में किया जाना वर्णित है और गोहार करने पर गांव के छोटे छोटे लड़के व कुछ औरते पहुंच गयी होना और घटना को देखना कहा गया। किन्तु किसी लड़के के नाम का न तो उल्लेख किया गया है और न ही उन्हें परीक्षित किया गया। "कुछ औरते" का मतलब एक से अधिक औरते होना निकाला जा सकता है। किन्तु अभियोजन साक्षी के रूप में मात्र श्रीमती ज्ञानमती गौड़ को पी०डब्लू०-4 के रूप में परीक्षित किया गया। किसी अन्य महिला साक्षी को भी परीक्षित नहीं किया जा सका।

पी०डब्लू०-1 व पी०डब्लू०-4 के अतिरिक्त चक्षुदर्शी के रूप में साक्षी पी०डब्लू०-2 आलोक कुमार यादव को परीक्षित किया गया है, जिनके नाम का उल्लेख तहरीर में नहीं किया गया है। पी०डब्लू०-9 विवेचक द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट किया गया कि गांव बैदौली में जाकर गवाहों के बयान दर्ज किया था। "पहली बार उक्त साक्षी को आलोक यादव (पी०डब्लू०-2) के चक्षुदर्शी होने की जानकारी उस समय हुई जब वह विवेचना के संबंध में गांव गया

था चर्चा के दौरान उसे जानकारी हुई कि आलोक यादव घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है।"

वादी मुकदमा की तहरीर के अनुसार घटना के चक्षुदर्शी छोटे-छोटे लड़के और कुछ औरतें हैं और दौरान विवेचना पी०डब्लू०-2 व पी०डब्लू०-4 के बयान विवेचक द्वारा अंकित किए गए जिन्हें न्यायालय में अभियोजन कथानक के समर्थन में परीक्षित किया गया। पी०डब्लू०-4 द्वारा अपने साक्ष्य में स्पष्ट कहा गया है कि घटना के समय शशिकान्त (मृतक) के घर का कोई नहीं था। जिसकी पुनरावृत्ति उक्त साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में भी की गयी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि घटना के समय पी०डब्लू०-4 के अनुसार पी०डब्लू०-1 घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था। अतः घटनास्थल पर घटना के समय या तो पी०डब्लू०-1 उपस्थित था या पी०डब्लू०-4 । दोनों का घटनास्थल पर एक साथ उपस्थित रहना संभव नहीं है। तद्नुसार साक्षियों पी०डब्लू०-1 और पी०डब्लू०-4 दोनों की घटनास्थल पर एक साथ उपस्थिति साबित नहीं है। यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दोनों में से कोई भी पी०डब्लू०-1 व पी०डब्लू०-4 घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है।

साक्षी पी०डब्लू०-1 तथा पी०डब्लू०-2 द्वारा लाठी डंडा व चाकू से अभियुक्त फिरोज अली द्वारा प्रहार करने की बात का वर्णन किया गया है। जबकि शव विच्छेदक चिकित्सक साक्षी पी०डब्लू०-5 द्वारा शव विच्छेदन आख्या में मृतक के शरीर पर लाठी डंडा अथवा राड की किसी चोट का कारित होना नहीं पाया गया। मात्र तीन चोटे 'शार्प आब्जेक्ट' की पायी गयी। दो चोटे सामने की ओर और एक चोट सिर में पीछे की ओर। इस तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त कथित चक्षुदर्शी साक्षियों द्वारा अभियुक्तगण के प्रयुक्त हथियार को भी नहीं देखा गया। अभियुक्त द्वारा प्रयुक्त हथियार लाठी-डण्डा था या राड, साबित नहीं किया जा सका। पी०डब्लू०-1 की तहरीर में उल्लिखित लाठी-डण्डा के विपरीत विवेचक द्वारा राड की बरामदगी दिखायी गयी है।

साक्षी पी०डब्लू०-1 मृतक का सगा भाई है और अभियुक्तगण के परिवार की पुरानी रंजिश रास्ते को लेकर कही गयी है। रंजिश एक दुधारी तलवार के रूप में होती है। जिसके कारण जहां अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किये जाने की संभावना बनती है। वही अज्ञात परिस्थितियों में घटना कारित होने की दशा में अभियुक्तगण को झूठा फंसाये जाने से भी इंकार नहीं किया जा सकता और संदेह का लाभ हमेशा अभियुक्तगण के पक्ष में रहता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **विजय सिंह उर्फ विजय कुमार शर्मा बनाम बिहार राज्य [2025 (130) ACC 887]** में अवधारित किया गया कि आशय तभी महत्वपूर्ण है जब अपराध के आवश्यक तत्वों को साबित करने के लिए साक्ष्य पर्याप्त हो। मौलिक तथ्यों के साबित होने के अभाव में अभियोजन का मामला मात्र आशय की उपलब्धता में साबित नहीं कहा जाएगा।

विवेचक द्वारा घटना वाले दिन ही वादी मुकदमा की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण एवं मानचित्र बनाये जाने का साक्ष्य दिया गया है और

नक्शा नजरी प्रदर्श क-11 के रूप में साबित किया गया है, जिसमें घटनास्थल बाग के दूसरी ओर सड़क पार करके नल के पास होना वर्णित है। जबकि पी०डब्लू०-1 और पी०डब्लू०-2 द्वारा घटनास्थल वादी की बाग में होना कहा गया है जिससे भी स्पष्ट होता है कि तहरीर के आधार पर वर्णित घटनास्थल और विवेचक व पी०डब्लू०-4 के द्वारा वर्णित घटनास्थल में भिन्नता है, जो कि एक महत्वपूर्ण विरोधाभाष है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **इकबाल सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [2025 (131) ACC 218]** में अवधारित किया गया कि जहां चक्षुदर्शी साक्षी द्वारा घटनास्थल का सही ढंग से वर्णन नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी की साक्ष्य पर पूरी तरह से अभियुक्त को सजा देने हेतु विश्वास नहीं किया जा सकता।

विवेचक द्वारा अभियुक्त फिरोज अली की ओर से घटना कारित करने में प्रयुक्त हथियार चाकू व लोहे की राड को उक्त अभियुक्त की निशानदेही पर बैदौली में मलबे के ढेर से बरामद किया जाना कहा गया, जबकि तथाकथित चक्षुदर्शी साक्षी पी०डब्लू०-2 द्वारा घटनास्थल अथवा उसके आस पास किसी मलबे के ढेर के स्थित रहने से इंकार किया गया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त फिरोज अली द्वारा प्रयुक्त हथियार की बरामदगी भी संदिग्ध है। उक्त बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है।

साक्षी पी०डब्लू०-4 द्वारा कहा गया कि उसने देखा कि फिरोज बगीचे में घूम रहा था इसी बीच शशिकान्त (मृतक) पानी पीने लियाकत के नल पर गया। उसी बीच शशिकान्त को फिरोज ने चाकू मार दिया, जो बांये तरफ से मारा था तथा सिर पर राड से मारा था। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा कि वह 'दुल्हन' है और मुस्लिम परिवार के इम्तियाज, मलिक व सुमराती का नाम जानती है। इसके अलावा अपने गांव के किसी मुस्लिम परिवार को नहीं जानती। आगे अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा कि वह अपने गांव के लियाकत को जानती है। लियाकत के घर कौन कौन रहता है वह नहीं जानती। इस प्रकार उक्त साक्षी पी०डब्लू०-4 जो कि एक दुल्हन (पर्दानशीन) महिला है और गांव के मुस्लिम परिवार में केवल इम्तियाज, मलिक व सुमरावती को जानती है। इसके अलावा गांव के अन्य किसी मुस्लिम परिवार को नहीं जानती। अभियुक्तगण अफरोज, मजहर, बरकत व फिरोज को कैसे पहचान गयी यह तथ्य संदिग्ध है। विवेचक पी०डब्लू०-9 द्वारा उक्त साक्षी पी०डब्लू०-4 का बयान वादी मुकदमा के दरवाजे पर वादी मुकदमा की उपस्थिति में घटना के महीनों बाद दर्ज किया गया। जिससे इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि उक्त महिला साक्षी को सिखा-पढ़ाकर अभियोजन साक्ष्य हेतु तैयार किया गया हो। उक्त साक्षी द्वारा न्यायालय में बयान देने वादी पी०डब्लू०-1 के साथ आना कहा गया है जिससे वादी के प्रभाव में उक्त साक्षी द्वारा साक्ष्य देने से भी इंकार नहीं किया जा सकता। साक्षी पी०डब्लू०-4 के अतिरिक्त किसी अन्य महिला साक्षी को परीक्षित नहीं किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के खण्डपीठ द्वारा **नवरत्न सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [2025 (131) ACC 394]** में अवधारित किया गया कि जहां साक्षियों का बयान अंतर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० घटना के 5-6 दिन बाद लिखा गया। अतः विवेचना संदिग्ध और पूरी तरह से प्रभावित पायी गयी। अभियोजन को संदेह से परे साबित किए जाने में असफल पाते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया।

साक्षी पी०डब्लू०-4 द्वारा बकरी खरीदने, पालने और बेचने के बिन्दु पर भी अविश्वसनीय अभिकथन करते हुए अपनी साक्ष्य अंकित करायी गयी है। घटना के कुछ समय पूर्व बकरी खरीदने व पालने और घटना के कुछ समय बाद तक बकरी रखने और बेच दिए जाने का वर्णन है, जो स्वतः में एक अविश्वसनीय तथ्य है। क्योंकि घटना के पूर्व कब उसने बकरियां खरीदी थी, कब तक पाला और किसको बेच दिया आदि से संबंधित प्रश्नों का संतोषजनक जबाव नहीं दिया जा सका। साक्षी पी०डब्लू०-4 जो कि 'दुल्हन' महिला है। उसने अपने बयान में 10 जून 2019 को घटना कारित होने का अभिकथन किया, किन्तु 10 जून के पहले और 10 जून के बाद कौन सी तारीख होती है इसकी जानकारी इस साक्षी को नहीं है। अंग्रेजी व हिन्दी के महीनों व तारीखों तक की जानकारी इस साक्षी को नहीं है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि उक्त साक्षी के साक्ष्य स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है और साक्षी को सिखा-पढ़ाकर साक्ष्य हेतु तैयार किया गया है। उक्त साक्षी (पी०डब्लू०-4) का घटना के समय वर्णित आचरण भी संदिग्ध है। अभियुक्त फिरोज द्वारा घटना कारित किये जाते हुए साक्षी देखने के बावूजद चुपचाप घर के अंदर चली जाती है न तो शोर मचाती है न ही किसी को बताती है जो कि सामान्य मानवीय व्यवहार के विपरीत है।

उक्त साक्षी पी०डब्लू०-4 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट कहा गया कि "उसे नहीं मालूम की शशिकान्त की मृत्यु कब हुई थी लेकिन शशिकान्त की मृत्यु रात में हुई थी।" जिससे बचाव पक्ष के इस तर्क को बल मिलता है कि घटना शाम के छः बजे नहीं हुई थी और घटना किसी अज्ञात समय पर हुई, जिसका कोई साक्षी नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट रात के 22.08 मिनट पर अंकित करायी जानी और 23.30 मिनट पर पंचनामा हुआ है। जबकि घटनास्थल से थाने की दूरी मात्र छः किलोमीटर तथा सी०एच०सी० की दूरी थाने से पांच सौ मीटर है। साक्षी पी०डब्लू०-2 द्वारा दी गयी साक्ष्य और प्रतिपरीक्षा में किये गये अभिकथनों से घटना का समय आठ बजे के लगभग आता है। उक्त साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट किया गया है कि "पंचानामे में जो एफ०आई०आर० का समय 22.08 बजे और पंचनामा शूरू करने का समय 22.30 बजे लिखा है वह सही है। पंचनामे के समय से एवं घटना होने के समय के बीच वह सिर्फ दो घंटा पंचनामा स्थल पर नहीं पहुंचा था क्योंकि घटना होने के समय से एक घंटे तक वही रूका रहा। शेष एक घंटा जो बचा वह गांव से बड़हलगंज जाने में लगा। दस बजे रात से दो घंटा निकाल दिया जाए तो रात के आठ बजेगा। घटना उसी समय की है।

इस प्रकार अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-2 व पी०डब्लू०-4 के साक्ष्य से घटना का 8 बजे रात या छः बजे से भिन्न किसी समय कारित होने से इंकार नहीं

किया जा सकता। तद्नुसार अभियोजन साक्षियों द्वारा घटना का समय भी स्थापित नहीं किया सका।

घटना के तथाकथित चक्षुदर्शी साक्षी पी०डब्लू०-1, पी०डब्लू०-2 व पी०डब्लू०-4 के साक्ष्यों से घटना में प्रयुक्त हथियार और उनसे कारित चोटों की पुष्टि चिकित्सक साक्षी की साक्ष्य से नहीं होती। घटनास्थल का विवेचक द्वारा बनाया गया नक्शा नजरी वादी द्वारा वर्णित घटनास्थल से भिन्न है। घटना के कारित होने के वर्णित समय में भिन्नता व अस्पष्टता है। वादी द्वारा वर्णित तहरीर में चक्षुदर्शियों के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। परीक्षित तथाकथित चक्षुदर्शियों पी०डब्लू०-2 व पी०डब्लू०-4 के साक्ष्य में परस्पर विरोधाभाष है और पी०डब्लू०-4 द्वारा वादी की घटनास्थल पर उपस्थिति से इंकार किया गया है। अतः वादी मुकदमा पी०डब्लू०-1 स्वतः का घटना को अपनी आंखों से देखा जाना संदेहास्पद है।

किसी भी ग्रामवासी का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में साक्षी के रुप में वर्णित नहीं है। ईलाज हेतु सी०एच०सी० ले जाये जाने के कथन से स्पष्ट है कि घटनास्थल पर चोटहिल की मृत्यु होना भी वादी को ज्ञात नहीं थी। जिस व्यक्ति द्वारा तहरीर लिखी गयी उस व्यक्ति का नाम वादी द्वारा बताया नहीं जा सका और तहरीर वादी द्वारा अपने द्वारा नहीं लिखा गया। अपने बाग में मृतक के साथ घटित घटनाक्रम को कथित रूप से देखे जाने के बावजूद वादी का आचरण व उपस्थिति संदिग्ध है। वादी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में घटना से लेकर एफ०आई०आर० तक लिखाये जाने में लगभग 60 मिनट का समय लगना कहा गया है और एफ०आई०आर० 22.08 बजे लिखायी गयी। जिससे भी घटना नौ बजे के लगभग कारित होने का समय निकलता है। जिससे स्पष्ट है कि घटना का कथित समय 06:00 बजे शाम सही नहीं है और रात के अंधेरे की घटना के संबंध में किसी प्रकाश के स्रोत अथवा साक्षी का अभाव है।

वादी द्वारा घटना के दिन घटनास्थल पर पहुंचने वालों में सुरेन्द्र, रामविलास, विपिन गौड़, प्रीति, जयहिन्द आदि का नाम लिया गया है किन्तु किसी को भी परीक्षित नहीं किया गया। घटनास्थल पर घटना के समय तेज आवाज में शोर शराबा नहीं हो रहे होने का भी कथन किया गया है। वादी ने स्पष्ट किया है कि "जब यह साक्षी घटनास्थल पर पहुंचा तो मुल्जिमान भाग रहे थे।" जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह साक्षी मुल्जिमान को घटना कारित करते हुए नहीं देखा था। पी०डब्लू०-1 ने आगे कहा है कि साक्षी आलोक यादव, उदय नरायन यादव व ज्ञानमती से घटना के समय अच्छे संबंध थे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अच्छे संबंध के कारण घटना का चक्षुदर्शी न होने के बावजूद उक्त साक्षीगण वादी के पक्ष में बयान हेतु तैयार हुए जबकि वास्तव में घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी था ही नहीं।

पी०डब्लू०-1 ने कहा है कि "वह अपने भाई शशिकान्त को मुल्जिमानों से बचाने का कोई प्रयास नहीं किया और न ही मुल्जिमानों को पकड़ने का कोई

प्रयास किया" जो कि मानवीय संवेदानाओं और सामान्य आचार व्यवहार के विपरीत है।

साक्षी पी०डब्लू०-1 द्वारा चोटहिल अवस्था में अपने भाई को "संजय यादव व विपिन गौड़" के साथ ले जाना कहा गया जबकि पी०डब्लू०-2 आलोक कुमार यादव द्वारा चोटहिल अवस्था में 'लालचन्द' की आल्टो कार द्वारा ले जाये जाने की बात कही गयी जो कि विरोधाभाषी है। इस प्रकार या तो पी०डब्लू०-1 गलत है या पी०डब्लू०-2 अथवा दोनों ही गलत साक्ष्य दे रहे हैं।

10 जून 2019 की घटना के संबंध में 30 जून 2019 को अपना बयान अंकित कराये जाने के संबंध में पी०डब्लू०-2 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है। पी०डब्लू०-2 के उक्त विलम्बित बयान होने की दशा में साक्ष्य की विश्वसनीयता संदिग्ध है।

पी०डब्लू०-2 द्वारा कहा गया है कि घटनास्थल पर कोई मलबा या कूड़े का ढेर जमा नहीं था और न ही घटनास्थल के आस-पास कोई मलबा या कूड़े का ढेर जमा था। जबकि विवेचक द्वारा अभियुक्त फिरोज की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू व राड की बरामदगी कूड़े के ढेर से किया जाना कहा गया है। जिससे साबित होता है कि विवेचक द्वारा आलाकत्ल की बरामदगी और पी०डब्लू०-2 के साक्ष्य में भिन्नता है। साक्षी पी०डब्लू०-2 द्वारा कहा गया कि उसने पुलिस को बताया था कि घटना जितेन्द्र के बगीचे में हुई थी यदि पुलिस ने उसके बयान में उपरोक्त बाते नहीं लिखा है तो उसका कोई कारण नहीं बता सकता। इस प्रकार स्पष्ट है कि घटनास्थल जितेन्द्र पी०डब्लू०-1 के बगीचे में चक्षुदर्शी साक्षीगण पी०डब्लू०-1 तथा पी०डब्लू०-2 द्वारा होना कहा गया है। जो कि विवेचक द्वारा कथित वादी मुकदमा की निशानदेही पर बनाये गये मानचित्र में वर्णित तथा पी०डब्लू०-44 द्वारा वर्णित घटनास्थल से भिन्न है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **मनीराम एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [1994 Supp (2) SCC 289]** में अवधारित किया गया कि जहां चक्षुदर्शियों की साक्ष्य पूरी तरह से अविश्वसनीय व संदिग्ध है, वहां ऐसी साक्ष्य के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सुखलाल बुनकर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [2025 (133) ACC 816]** में अवधारित किया गया कि जहां चक्षुदर्शियों की साक्ष्य में परस्पर विरोधाभाष है, चक्षुदर्शियों की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है, चक्षुदर्शियों द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में किए गए वर्णन के विपरीत पश्चातवर्ती अभिकथन किए गए, घटना रात के अंधेरे में घटित हुई, विचारण के समय अभियोजन साक्षियों को बिल्कुल नए तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया गया है। ऐसी दशा में उक्त साक्ष्यों के संसोधन और दोषारोपण पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं कहा गया। साक्षी के व्यवहार को विश्वसनीय नहीं कहा गया और अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **राजीव सिंह बनाम स्टेट आफ बिहार 2016 (93) ए.सी.सी. पेज 525** में यह अवधारित किया गया कि "कोई आरोप

तभी साबित कहा जा सकता है जब विधिक दोष सिद्धि हेतु प्रत्यक्ष व निश्चित साक्ष्य उपलब्ध हो। किसी व्यक्ति को शुद्ध नैतिक सिद्ध दोष के लिए दोषी नहीं किया जा सकता है। अभियोजन पक्ष को संदेह से परे आरोप साबित करना होता है। निर्दोषता की अवधारणा न केवल व्यक्ति विशेष को सुरक्षित करती है बल्कि विधिक निकाय की सुरक्षा और उसमें जनसामान्य के विश्वास को भी बनाये रखती है।"

इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **विजय शंकर बनाम हरियाणा राज्य 2016 (93) ए.सी.सी. पेज 463** में यह अवधारित किया गया कि "परिस्थितियां जिनसे अभियुक्तगण के दोषी होने का संकेत मिलता हो, पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से साबित होना चाहिए।"

माननीय उच्चतम न्यायालय ने **पंजाब राज्य बनाम विटटू 2016 (93) ए.सी.सी. पेज 469** में अभिमत व्यक्त किया कि "आशय मात्र साबित होना अभियुक्तगण की दोष सिद्धि हेतु पर्याप्त नहीं है।"

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा **जयहिन्द सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2016 (93) ए.सी.सी. पेज 10** में यह अवधारित किया कि "चूंकि अभियोजन पक्ष की कहानी संदेहास्पद प्रतीत होती है। अपीलार्थी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।"

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित तथाकथित चक्षुदर्शी साक्षीगण वादी मुकदमा पी०डब्लू०-1, पी०डब्लू०-2 तथा पी०डब्लू०-4 की तथ्यगत साक्ष्य में गंभीर व तात्विक विरोधाभाष और अस्पष्टता है। अभियुक्त फिरोज द्वारा अपने दोनों हाथों में लिये हुए चाकू व राड से प्रहार करते हुए घटना कारित किया जाना पी०डब्लू०-2 द्वारा कहा गया, जबकि पी०डब्लू०-1 द्वारा लाठी डंडा व चाकू का वर्णन किया गया और चिकित्सक साक्ष्य में मात्र चाकू की चोट पायी गयी। लाठी डंडा अथवा राड की कोई चोट नहीं पायी गयी है।

साक्षी पी०डब्लू०-4 द्वारा अपने गांव के अभियुक्तगण की पहचान किये जाने से प्रतिपरीक्षा में दुल्हन होने के नाते इंकार किया गया। घटनास्थल के संबंध में वादी के बगीचे अथवा बगीचे से सटे सड़क के उस पार नल के पास होने के कारण घटनास्थल साबित नहीं है। नक्शा नजरी व अभियोजन साक्ष्यों के वर्णन में महत्वपूर्ण अंतर है।

घटना कारित किये जाने के समय छः बजे शाम अथवा रात के आठ बजे या उसके बाद के समय पर साक्षियों के साक्ष्य में भिन्नता है।

अतः कथित चक्षुदर्शी साक्षियों की घटनास्थल पर उपस्थिति विश्वसनीय नहीं है और न ही उनके द्वारा घटना को अपनी आंखों से देखा जाना साबित किया जा सका है। स्पष्टतः रंजिशन अज्ञात परिस्थितियों एवं कारणों से कथित घटनाक्रम का काल्पनिक वर्णन करके मामला पंजीकृत कराया गया, जिसके कारण अभियोजन साक्षीगण अभियोजन कथानक को संदेह से परे साबित करने में असफल रहे हैं। घटनाक्रम साक्ष्यविहीन तथ्यों पर आधारित है। अभियुक्तगण

के विरूद्ध लगाये गये आरोप साक्षियों के संदिग्ध साक्ष्य के आधार पर साबित होना नहीं पाया जाता है। अतः अभियुक्तगण अफरोज अली, मजहर अली, फिरोज अली एवं बरकत अली को उनके विरूद्ध धारा- 147, 302/149, 504 व 506 भा०दं०सं० के आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण अफरोज अली, मजहर अली, फिरोज अली एवं बरकत अली के विरूद्ध लगाये गये आरोप धारा- 147, 302/149, 504 व 506 भा०दं०सं० के आरोप से उन्हें दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त फिरोज अली जिला कारागार, संतकबीरनगर से तथा अभियुक्तगण अफरोज अली, मजहर अली एवं बरकत अली जमानत पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित है। अभियुक्तगण अफरोज अली, मजहर अली एवं बरकत अली के स्वबंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा उनके प्रतिभूओं को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा- 437A के प्रावधान के अनुपालन में दाखिल बंधपत्र व जमानतनामे अग्रिम छः माह तक प्रभावी रहेगें।

जिला कारागार अधीक्षक, संतकबीरनगर को निर्देशित किया जाता है कि अभियुक्त फिरोज अली यदि किसी अन्य मामले में वांछित न हो, तो उसे तत्काल रिहा किया जाए।

अभियुक्त फिरोज अली का रिहाई परवाना नियमानुसार जारी किया जाए।

माल मुकदमाती बाद अपील मियाद नियमानुसार निस्तारित हो।

दिनांक 17.03.2026

(उमेश चन्द्र पाण्डेय-II)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-01,
गोरखपुर।
JO. Code- UP 6066

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

दिनांक 17.03.2026

(उमेश चन्द्र पाण्डेय-II)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-01,
गोरखपुर।
JO. Code- UP 6066

Digitally signed by UMESH CHANDRA PANDEY
Date: 2026.03.17 17:19:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court